दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 24.01.2024

रि.या.(सि.)11104/2018, सि.वि.आवे.43169/2018-(स्थगन) और सि.वि.आवे. 10231/2022-द्वारा आर-5 (ठहरने की छुट्टी के लिए)

युधवीर सिंह और अन्य

.....याचीगण

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

और

रि.या.(सि.) 320/2018

गजेंदर सिंह दराल और अन्य

.....याचीगण

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

वर्तमानः श्री ध्रुव मेहता, सुश्री स्मिता मान के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विशाल मान, श्री कीथ वर्गीज, श्री आकाश सहरावत, श्री आदित्य सिंह और श्री जितिन चिल्लर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्तागण।

श्री संजय कुमार पाठक, श्री सुनील कुमार झा के साथ स्थायी वकील, श्री एम्.एस. अख्तर, सुश्री रिनी वी तिग्गा और सुश्री निधि ठाकुर, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के लिए अधिवक्तागण ।

श्री मनीष वशिष्ठ, श्री करुणेश टंडन, श्री राहुल और श्री अनुराग यादव के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं.5/दिल्ल्ली जल बोर्ड के लिए अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायाधीश श्री वी. कामेश्वर राव

माननीय न्यायाधीश श्री अनूप कुमार मेंदिरत्ता

<u>निर्णय</u>

<u>अनूप कुमार मेंदिरत्ता, न्या.</u>

<u>सामग्री की तालिका</u>

क्रम सं.	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
I.	**संक्षिप्त पृष्ठभूमि**	3
II.	**याचिगण द्वारा स्थापित मामला**	7
III.	**प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थापित मामला**	10
IV.	**याचिगण की ओर से दलीलें**	21
V.	**प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क**	27
VI.	**याचिगण की ओर से दलीलें**	37
VII.	**निष्कर्ष/विश्लेषण**	39
	क. क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा पसंद की गई रिट याचिकाओं की देरी और लापरवाही या स्वीकृति या अधिकारों को छूट के आधार पर रोक दिया गया है	40
	ख. क्या आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना आर एफ सी टी एल ए आर आर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 के व्यपगत होने के बाद अप्रभावी और निष्क्रिय है	56
	ग. अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती तात्कालिकता, भेदभाव	69

	और दुर्भावना के आधार पर	
	घ. अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती आपत्तियों पर विचार न करने का आधार	81
	ङ. आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना को चुनौती	85
	च. एमपीडी 2021, जेड डी पी और डी डी ए की लैंड पूलिंग नीति के उल्लंघन के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती	90
	छ. पर्याप्त अनुपालन	93
VIII.	**निष्कर्ष**	95

(I) <u>संक्षिप्त पृष्ठभूमि</u>

1. यमुना नदी में अपशिष्ट और जहरीले अपशिष्टों के निर्वहन से निपटने के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू टी पी (अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र) की स्थापना के लिए संबंधित विभाग को ***मनोज कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ*** मामले में 08 मई, 2015 के आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (इसके बाद 'आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013' के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत विभिन्न गांवों में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पैदा कर दी।

2. रिट याचिका (सि.) 11104/2018 (युद्धवीर सिंह और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य) में याचिकाकर्ताओं की जमीन खसरा

सं.11//11 (4-00), 12/2 (2-10), 19 (4-16), 20 (4-16), 21 (4-12), 22 (4-16), 28 (0-04) और 16// 2 (4-12) में अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के तहत 28 अगस्त, 2015 को जारी अधिसूचना सं. एफ.8 2/16/2015 एल एंड बी./एल. ए./10643 को रद्द करने और उक्त अधिनियम के तहत 27 जुलाई, 2017 को अधिसूचना स.एफ.स.एडीएम्/एलएसी/एसडब्लू/2015/921-927 के माध्यम से जारी धारा 19 के तहत घोषणा सहित आगे की कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

3. रिट याचिका (सि.) 320/2018 (गजेंद्र सिंह द्राल और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य) में, नई दिल्ली के टिकरी कला गांव में स्थित खसरा सं.74/21 (4-16), 74/22 (4-03), 85// 2/2 (2-08), 85// 2/2 (2-08) और 85// 3/1 (1-09) में याचिकाकर्ताओं की भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई थी। याचिकाकर्ता धारा 11(1) के तहत 28 अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं.एफ.8 2/15/2015 एल और बी/एलए/10621 को रद्द करने की मांग करते हैं, 11 (1) आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम और उक्त अधिनियम के तहत 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. एफ.स.एल ए सी (डब्ल्यू)/एम. आई. एस. सी./2017/4160 के माध्यम से धारा 19 के तहत जारी घोषणा सहित आगे की कार्यवाही की जाए।

4. इस स्तर पर, यह देखा जा सकता है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013, जो 1 जनवरी, 2014 से लागू हुआ था, इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को निरस्त कर दिया और अधिग्रहित भूमि से विस्थापित होने पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए 'पुनर्वास और पुनर्वासन तंत्र' का प्रावधान किया गया। आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 के संदर्भ में, विस्थापन से उत्पन्न होने वाले आर्थिक नुकसान और **'सामाजिक प्रभाव'** के मूल्यांकन की आवश्यकता है और इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के समग्र जीवन स्तर में समग्र सुधार करना है। जैसा कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत प्रदान किया गया है, यदि भूमि को उक्त अधिनियम की धारा 40 के तहत तत्काल प्रावधानों के तहत अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, तो अधिकृत सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के उपक्रम को छूट दे सकती है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अधिनियम की धारा 10 ने उन परियोजनाओं के मामले में उक्त प्रावधान को लागू करने से छूट दी है जो रैखिक प्रकृति की हैं, जैसे कि रेलवे, राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, सिंचाई नहरें, बिजली की लाइनें और प्रकाश। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2014 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 109 के तहत 08 अगस्त, 8 अगस्त 2014 से अधिसूचित किया गया था ।

5. 31 दिसंबर, 2014 को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ इस अधिनियम के अध्याय-II और III के प्रावधानों से कुछ परियोजनाओं को छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार को सशक्त बनाने के साथ-साथ अध्याय III-क को भी शामिल किया गया था।

धारा 10क में प्रावधान है कि अध्याय-2 (सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य के निर्धारण से संबंधित) और अध्याय-3 (खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित) के प्रावधानों को निम्नलिखित परियोजनाओं के संदर्भ में लोक हित में उपयुक्त सरकार द्वारा छूट दी जा सकती हैः

> *(क) ऐसी परियोजनाएं जो भारत और उसके हर हिस्से की राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें रक्षा की तैयारी या रक्षा उत्पादन शामिल है;*
>
> *(ख) विद्युतीकरण सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचा;*
>
> *(ग) किफायती आवास और गरीब लोगों के लिए आवास;*
>
> *(घ) औद्योगिक गलियारे; और*

(ङ) सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचा और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास बना रहता है।

6. इसके बाद, 2014 के अध्यादेश को बदलने के लिए 24 फरवरी, 2015 को लोक सभा में आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) विधेयक पेश किया गया और 10 मार्च, 2015 को लोक सभा में संशोधनों के साथ पारित किया गया, लेकिन इसे राज्य परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका।

उपरोक्त के मद्देनजर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 03 अप्रैल, 2015 को आर एफ सी टी एल ए आर आर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 प्रख्यापित किया गया था, जिसके तहत पिछले अध्यादेश में संदर्भित अध्याय-III‌क को बरकरार रखा गया था। इसके अलावा, एक प्रावधान पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उपयुक्त सरकार आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम के अध्याय-II और अध्याय-III के आवेदन से परियोजनाओं को छूट देने वाली अधिसूचना जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूमि की सीमा ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है। साथ ही, अध्यादेश की धारा 10 क की उप-धारा 2 में यह प्रावधान किया गया था कि उपयुक्त सरकार शुष्क भूमि सहित अपनी बंजर भूमि का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसी भूमि का विवरण युक्त रिकॉर्ड बनाए रखेगी।

7. आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 11 मई, 2015 को लोक सभा में पेश किया गया था और इसे सदन की संयुक्त समिति को भेजा गया था। **आर एफ सी टी एल ए आर आर अध्यादेश (संशोधन), 2015 के प्रावधानों को निरंतर प्रभावी बनाने के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 मई, 2015 को आर एफ सी टी एल ए आर आर दूसरा अध्यादेश (संशोधन), 2015 प्रख्यापित किया**। निरसन और व्यावृति खंड के आधार पर, यह प्रदान किया गया था कि आर एफ सी टी एल ए आर आर अध्यादेश (संशोधन), 2015 को निरस्त कर दिया गया है और इसके अलावा इस तरह के निरसन के बावजूद, आर एफ सी टी एल ए आर आर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तहत की गई कोई भी कार्यवाही या की गई कार्यवाही को इस अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा। **आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 अंततः 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो गया।**

8. अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाले अन्य आधारों के अलावा, याचिकाकर्ताओं का मुख्य मुद्दा यह है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करके आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 की धारा

10क (1) (ड.) को लागू करके आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय II अन्य बातों के साथ साथ III के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों का पालन किए बिना भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 31 अगस्त, 2015 को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश के समाप्त होने के कारण जारी नहीं रखी जा सकी।

9. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुरोध पर और प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सहमति के अनुसार, रिट याचिका (सि.) स.11104/2018-युधवीर सिंह और एक अन्य बनाम जी. एन. सी. टी. डी. और अन्य को एक प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है। दोनों मामलों में आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना की तारीख 28 अगस्त, 2015 है, लेकिन आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा अलग-अलग तिथियों पर जारी की गई थी (यानी रि. या. (सि.) 11104/2018 में 27 जुलाई, 2017 और रि. या. (सि.) 320/2018 में 24 अगस्त, 2017)। दोनों मामलों में इसी तरह के कानूनी विवाद उठाए गए हैं, सिवाय इसके कि डी. जे. बी. (दिल्ली जल बोर्ड) में रि. या. (सि.) 320/2018-गजेंद्र सिंह द्राल और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य के पक्षकार नहीं है और उक्त कार्यवाही में अधिग्रहण की प्रस्तावित भूमि में कोई कमी नहीं की गई है।

(II) <u>याचिगण द्वारा मामला निर्धारित किया गया</u>

10. याचिगण के मामले के अनुसार, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 की धारा 10क (1) (ड.) को 31 अगस्त, 2015 को लागू किया गया अध्यादेश के समाप्त होने पर अप्रभावी और निष्क्रिय है और इसे आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती थी। ***कृष्ण कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य*, *(2017) 3 एस. सी. सी. 1*** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर दलीलों के समर्थन में भरोसा रखा गया है।

11. याचिगण का यह भी मामला है कि प्रत्यर्थियों द्वारा भूमि की पहचान निजी भूमि मालिकों की पीठ के पीछे थी और अधिग्रहण के लिए पहचानी गई प्रस्तावित भूमि की पहचान की प्रक्रिया और कार्यविधि सभी के लिए अज्ञात है। कहा जाता है कि भूमि की पहचान कर ली गई है सीवरेज मास्टर प्लान (एस. एम. पी.-2031), एम. पी. डी.-2021 और क्षेत्रीय विकास योजना (जेड. डी. पी.) के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के प्रस्तावित स्थान के विपरीत है ।

12. इसके अलावा, प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा पहचानी गई भूमि शुरू में 51 बीघा 07 बिसवा थी जिसमें याचिगण के स्वामित्व और अधिकार वाली 30 बीघा 06 बिसवा की भूमि शामिल थी, और 21 बीघा 1 बिसवा एक निजी कंपनी के स्वामित्व और अधिकार में थी जिसका

नाम मैसर्स एलाइड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड था। हालाँकि, बाद में इसकी आवश्यकता को 51 बीघा 07 बिसवा से घटाकर 30 बीघा 06 बिसवा कर दिया गया और केवल याचीगण की भूमि को शामिल किया गया, जबकि निजी कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि को परोक्ष कारणों से बाहर रखा गया था। भूमि में यह कमी बिना किसी औचित्य के बताई गई है और ऐसी बात उक्त निजी कंपनी के पक्ष में की गई थी और याचिगण के साथ भेदभाव किया गया था।

13. यह आगे कहा गया है कि याचिगण द्वारा दायर अभ्यावेदन/शिकायतों के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड (प्रत्यर्थी संख्या 5) ने सतर्कता जांच करने का फैसला किया। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने याचिगण से सतर्कता जांच में भाग लेने के लिए भी कहा और याचिगण ने जांच के दौरान उठाए गए प्रश्नों पर 12 जुलाई, 2017 को अपना जवाब दाखिल किया। याचिगण के पास 08 जून, 2017 के अभ्यावेदन की प्रति, 07 जुलाई, 2017 के पत्र की प्रति, 12 जुलाई, 2017 के नोटिस/जवाब और सी ई ओ द्वारा 24 अगस्त, 2017 की नोटिंग-शीट भी मौजूद है। याचिगण का मामला यह भी है कि उक्त जांच के दौरान, यह पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 24 अगस्त, 2017 को बनाई गई नोटिंग-शीट से पता चलता है कि कुल क्षेत्र की मांग में कमी के बाद, सदस्य (डी. आर.), भूमि विभाग (ई. ई.) ने वरिष्ठों के साथ भूमि के चयन पर चर्चा नहीं की और याचिगण द्वारा दायर शिकायत के बाद ही, सदस्य (डी. आर.) ने प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता की

समीक्षा की और एक बार फिर प्रारंभिक अवलोकन किया कि इसके बजाय 30 बीघा में से 50 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, उक्त उद्देश्य के लिए सटीक आवश्यकता का पता लगाने के लिए, दिल्ली जल बोर्ड (प्रत्यर्थी संख्या 5) ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और यह निर्णय लिया गया कि यदि समिति 50 बीघा भूमि का प्रस्ताव करती है तो प्रत्यर्थी संख्या 5 विभाग अतिरिक्त 20 बीघा शेष भूमि के लिए अधिग्रहण करेगा। इसके अलावा, राजस्व मंत्री द्वारा 06 अक्टूबर, 2017 की नोटिंग-शीट से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड के सतर्कता विभाग द्वारा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए दिल्ली जल बोर्ड के चार अधिकारियों के खिलाफ बड़े जुर्माने की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिशों के साथ अपनी जांच पूरी की। याचिगण के अभ्यावेदन की अवहेलना करते हुए और सतर्कता जांच के निष्कर्षों की अनदेखी करते हुए, अधिकारियों ने आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त की।

इसके बाद माननीय उपराज्यपाल (प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा 30 अक्टूबर, 2017 को एक नोटिंग-शीट जारी की गई जिसमें कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए और यदि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की ओर से कोई चूक पाई गई है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अलावा,

प्रस्तावित परियोजना के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है, यह मुद्दा अभी भी विशेषज्ञ समिति के समक्ष लंबित है, इसलिए कोई भी कार्यवाही करने से पहले समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना उचित होगा।

14. याचिगण का मामला यह है कि उक्त निजी कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2021 और क्षेत्रीय विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार सुविधा गलियारे में आती है और वही कथित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के लिए आसानी से उपलब्ध खाली भूमि है। दूसरी ओर, याचीगण के स्वामित्व और कब्जे वाली भूमि उपयोगिता गलियारे के बाहर आती है और इसका उपयोग विशेष रूप से जोन-के के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में 'आवासीय' रूप में प्रदान किया गया है।

15. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि याचीगण को सुनवाई का नोटिस जारी किया गया था और सुनवाई की अनुमति दी गई थी, लेकिन आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत अधिसूचना के जवाब में याचीगण की ओर से दायर आपत्तियों को बिना किसी बुद्धि और तर्क के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

16. इसके अलावा, एक ओर अधिग्रहण को आपातकाल के तहत करने की मांग की गई है, जिससे भूमि स्वामियों को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय-II और III के वैधानिक लाभों से वंचित किया

गया है और दूसरी ओर, अधिग्रहण विभाग के अनुरोध पर धारा 19 के तहत घोषणा जारी करने के लिए समय बढ़ाने पर विचार किया गया था।

17. यह भी कहा गया है कि हालांकि अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा के बाद के प्रावधानों का अनुपालन लंबित है, लेकिन अधिनियम की धारा 25 के तहत अधिसूचना जारी करने का समय बढ़ा दिया गया था। अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन और भेदभाव से दूषित बताया गया है।

(III) प्रत्यर्थिगण द्वारा मामला निर्धारित किया गया

18. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने **रिट याचिका (सि.) 11104/2018** में तारीखों की विस्तृत सूची के साथ तथ्यात्मक स्थिति सामने रखी है, जिस पर प्रत्यर्थियों के रुख की सराहना हेतु इस पर ध्यान दिया जा सकता है:

(i) राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 08 मई, 2015 को पारित आदेश के आलोक में, नई दिल्ली में प्रधान पीठ ने मू. वा. 06/2012 और मू.आ. स.300/2013 का शीर्षक ***मनोज कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ*** रखा है। निष्कासन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी.) की स्थापना के लिए दिल्ली जल बोर्ड (प्रत्यर्थी संख्या 5) ने प्रधान सचिव, भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/प्रत्यर्थी संख्या 1 से ***आपातकालीन खंड के तहत गाँव ताजपुर खुर्द, दिल्ली और गाँव टिकरी कलां, दिल्ली सहित सात गाँवों में भूमि अधिग्रहण करने का अनुरोध किया।*** उसमें यह

उल्लेख किया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड ने पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से गाँव सभा भूमि आवंटित करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उक्त परियोजनाओं के लिए उपलब्ध/पर्याप्त नहीं थी और इस प्रकार, जिला परिषद (दक्षिण पश्चिम) कार्यालय की मदद से निजी भूमि की पहचान की गई थी। माँग पत्र के संलग्नक में, गाँव ताजपुर खुर्द में भूमि का क्षेत्रफल 51 बीघा 07 बिसवा के रूप में दर्शाया गया था। इस बीच, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 भारत के राष्ट्रपति द्वारा 30 मई, 2015 को जारी किया गया था।

(ii) यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ-साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्राचार और विचाराधीन रहा, ताकि उपराज्यपाल को उपयुक्त सरकार की शक्ति प्रदान करने वाली अधिसूचना में शुद्धिपत्र जारी किया जा सके, क्योंकि केंद्र सरकार एक 'केंद्र शासित प्रदेश' (पुडुचेरी को छोड़कर) के भीतर स्थित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में उपयुक्त सरकार है और अनजाने में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में इसे 'राज्य सरकार' के रूप में उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों को इस बात पर भी आपत्ति थी कि दिल्ली जल बोर्ड की मांग आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम,

2013 की धारा 40 के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए सख्ती से शामिल नहीं की गई थी, जो आत्ययिकता खंड से संबंधित है।

(iii) 19 जून, 2015 को दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभिन्न गांवों में एस. टी. पी. एस./एस. पी. एस. एस. स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अनुरोध भेजा। 23 जून, 2015 को उप सचिव, भूमि अधिग्रहण /भूमि एवं भवन निर्माण विभाग,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने संबंधित भूमि अधिग्रहण सीमा को ताजपुर खुर्द, दिल्ली सहित विभिन्न गांवों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संयुक्त सर्वेक्षण की अनुसूची के बारे में सूचित किया और 30 जून, 2015 को गांव ताजपुर खुर्द सहित तीन गांवों में भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया ।

(iv) इसके बाद, 17 जुलाई, 2015 को दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियुक्त 'मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड-द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट' की राय के अनुसार गांव ताजपुर खुर्द में भूमि की आवश्यकता को 51 बीघा और 07 बीघा से घटाकर 30 बीघा 06 बीघा कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की भूमि के टुकड़े को प्रत्यर्थी -दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए चुना गया है कि भूमि निरंतर और नियमित आकार की है और अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की राय के संदर्भ में, न्यूनतम व्यक्तियों की

संख्या से निपटना आसान है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

(v) 20 जुलाई, 2015 को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 19 जून, 2015 के पत्र के संदर्भ में, उप सचिव, भूमि एवं भवन निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को सूचित किया कि प्रस्ताव आर. एफ. सी. टी. एल. ए.आर.आर.अधिनियम, 2013 की धारा 40 के तहत निर्दिष्ट 'आत्ययिकता खंड' के तहत योग्य नहीं था, क्योंकि यह केवल अधिनियम की धारा 40 (2) में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर लागू था। इस प्रकार, भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ग्राम-वार, खसरा संख्या और क्षेत्र-वार निर्देशांक, मानचित्र की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित अधिग्रहण से आवश्यक भूमि और प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या स्पष्ट करने की मांग की गई थी। डी. जे. बी. को यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या परियोजना उचित औचित्य के साथ अध्यादेश की धारा 10क (1) (ड.) के तहत निर्दिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजना के तौर पर सक्षम है और अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावित भूमि परियोजना को निष्पादित करने के लिए खाली पड़ी भूमि न्यूनतम है।

(vi) इस बीच, उपयुक्त सरकार को शक्ति सौंपने के संबंध में अधिसूचना सं.2740 (ड.) दिनांक 21.10.2014 को अधिसूचना सं 2004

(ड.) दिनांक 21.07.2015 को संशोधित किया गया था, जिसमें 'राज्य सरकार' शब्दों के लिए 'उपयुक्त सरकार' शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था।

(vii) 13 अगस्त, 2015 को दिल्ली जल बोर्ड ने भूमि और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र जारी किया जिसमें उनके द्वारा पहले मांगे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

(viii) इसके बाद, भूमि और भवन निर्माण विभाग के 22 अगस्त, 2015 के ध्यान दें के माध्यम से, अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का मसौदा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए ध्यान दें में प्रासंगिक विवरण के साथ रखा गया था और कहा गया था कि उक्त गांवों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और 30 मई, 2015 के आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरे अध्यादेश की धारा 10क (1) (ड.) के तहत अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, प्रस्तावित अधिग्रहण को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम 2013 के अध्याय-II (सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य का निर्धारण और अध्याय-III (खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान) के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी जाएगी। यह भी उल्लेख किया गया कि अतिरिक्त जिलाधिकारी (द.प.)

उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए अधिनियम के धारा 43 (1) के तहत प्रशासक होंगे। मसौदा अधिसूचनाओं और उपयुक्त संशोधनों की जांच के बाद, उन्हें 26 अगस्त, 2015 को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए रखा गया था।कहा जाता है कि विचार-विमर्श और उचित विवेक के बाद, 28 अगस्त, 2015 को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और माननीय उपराज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

(ix) अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण के उद्देश्य से गांव ताजपुर खुर्द में 30 बीघा 06 बिसवा की भूमि को अधिसूचित करने वाली अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना 28 अगस्त, 2015 को जारी की गई थी।

(x) इसी तरह की अलग-अलग अधिसूचनाएँ अन्य गाँवों, जैसे काकरोला (11 बीघा 15 बिसवा), कैर (9 बीघा 12 बिसवा), काजीपुर (4 बीघा 16 बिसवा), टिकरी कलां (15 बीघा 04 बिसवा) और बिजवासन (2 बीघा 11 बिसवा) (2150 वर्ग मीटर) के लिए एक साथ जारी की गई हैं।

(xi) धारा 11 के तहत गाँव ताजपुर खुर्द के संबंध में अधिसूचना दिल्ली के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है-एक अंग्रेजी में (हिंदुस्तान टाइम्स) और एक हिंदी में (नवभारत टाइम्स) में ।

(xii) आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो गया।

(xiii) कहा जाता है कि 05 अक्टूबर, 2015 को याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 15 के तहत आपत्तियां दायर की थीं, जिसके बाद दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को एक अनुस्मारक दिया गया था। 11 दिसंबर, 2015 के सुनवाई नोटिस के माध्यम से, याचीगण को 21 दिसंबर, 2015 को सुनवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।

(xiv) इसके अलावा, इस बीच, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास और विकास योजना) नियम, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 109 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

(xv) 22 दिसंबर, 2015 को, जिलाधिकारी ने निर्धारण बिंदु दर्ज किए और याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर, मामले को सुनवाई के लिए 05 जनवरी, 2016 के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे अंततः 28 जनवरी, 2016 को बंद कर दिया गया था।

(xvi) इसके अलावा, आपत्तियों पर विचार करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट (द.प.)/वास्तविक नियंत्रण रेखा ने बुनियादी ढांचा परियोजना यानी

अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए ग्राम ताजपुर खुर्द में अधिग्रहण कार्यवाही के खिलाफ प्राप्त आपत्ति पर अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, जिसमें कोई योग्यता नहीं पाई गई और इस प्रकार, 30 बीघा 06 बिसवा की अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण की सिफारिश की गई।

(xvii) इसके बाद, जिलाधिकारी (द.प.)/वास्तविक नियंत्रण रेखा की रिपोर्ट आपत्तियों पर सिफारिशों को 'उपयुक्त सरकार' को मंजूरी के लिए कार्यवाही रिकॉर्ड के साथ सूचित करने के लिए रखी गई और फाइल को उप मुख्यमंत्री को भेजा गया।

(xviii) 26 अप्रैल, 2016 को अधिनियम के तहत 'प्रशासक' ने दिल्ली के गांव ताजपुर खुर्द में क्षेत्र कर्मचारियों के साथ प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का संयुक्त क्षेत्र सर्वेक्षण/निरीक्षण किया।

(xix) 25 मई, 2016 को अधिनियम के तहत 'प्रशासक' ने याचिकाकर्ताओं/प्रभावित पक्षों को पुनर्वासन और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए उसी की प्रति के साथ सार्वजनिक सूचना जारी की और अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत भूमि मालिकों के बारे में एक रिपोर्ट की आवश्यकता थी और 17 जून, 2016 को सार्वजनिक सुनवाई और क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए निर्धारित किया गया था।

(xx) 22 अगस्त, 2016 को अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा जारी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए संबंधित जिले से प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति और विचार के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने 22 अगस्त, 2016 की अधिसूचना के तहत अधिनियम की धारा 19 (7) के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा जारी करने के लिए समय को छह (06) महीने की अवधि तक बढ़ा दिया। इसे सभी तरीकों से वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत अधिसूचित और प्रकाशित किया गया था।

(xxi) अतिरिक्त जिलाधिकारी./प्रशासक (आर. आर.) ने आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के तहत अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वास और पुनर्वास योजना के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट विभिन्न शीर्षों के तहत तैयार की गई थी, जिनमें प्रस्तावना, प्रत्येक प्रभावित परिवार की अधिग्रहित की जा रही भूमि और अचल संपत्तियों का विवरण, पेड़ों की सूची, भवन, अन्य अचल संपत्ति या अधिग्रहित की जाने वाली भूमि या भवन से जुड़ी संपत्तियों की सूची, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) के साथ प्रभावित परिवारों (भूमि पर किरायेदारों सहित) की सूची, प्रभावित के सदस्यों के नाम शामिल हैं। परिवार, जमींदारों और भूमिहीनों के संबंध में आजीविका का नुकसान, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर

है, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है, सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है, किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधनों का विवरण, विस्थापित परिवारों की सूची जिनके आधार संख्या उपलब्ध है, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा और पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के लिए परामर्श करें।

(xxii) 13 दिसंबर, 2016 को, उप कुल सचिव (भूमि अधिग्रहण), भूमि और भवन /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (दिल्ली) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (द.प.) से मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया ताकि अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचना समय के भीतर जारी की जा सके।

(xxiii) 11 जनवरी, 2017 और 14 जनवरी, 2017 को उप आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी (द.प.)/वास्तविक नियंत्रण रेखा की रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए उप आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा प्रस्ताव उपयुक्त सरकार अर्थात दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए फिर से प्रस्तुत किया गया था । मुख्य सचिव/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगने के लिए 14 जनवरी, 2017 को फाइल वापस कर दी।

(XXIV) 19 जनवरी, 2017 को, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्स्थापन और विकास योजना) नियम, 2015 के संदर्भ में, उप. सचिव (भूमि अधिग्रहण), भूमि और भवन/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जिलाधिकारी (द.प.) से 2015 के नियमों के अनुसार अधिग्रहण कार्यवाही के लिए आगे की प्रक्रिया करने का अनुरोध किया।

(xxv) 07 फरवरी, 2017 को जिलाधिकारी/वास्तविक नियंत्रण रेखा ने दिल्ली जल बोर्ड से पांच गाँवों में भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए रु.13,02,91,667-(गाँव ताजपुर खुर्द के लिए रु. 6,69,12,500/- सहित) की कुल राशि तुरंत जमा करने का अनुरोध किया ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

(xxvi) 15 फरवरी, 2017 को याचिकाकर्ताओं ने माननीय उपराज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री और संभागीय आयुक्त को निम्नलिखित आरोप लगाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किएः

(क) प्रारंभ में अधिग्रहण के लिए 51 बीघा 07 बिसवा की कुल भूमि की पहचान की गई थी जिसमें याचिकाकर्ताओं की 30 बीघा 06 बिसवा की भूमि शामिल थी। हालांकि, एलाइड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की 21 बीघा 1 बिसवा की भूमि को अधिसूचना से बाहर रखा गया था।

(ख) अधिग्रहण एम. पी. डी.-2021 और क्षेत्रीय विकास योजना के प्रावधानों के विपरीत है।

(ग) विचाराधीन भूमि उस स्थान पर नहीं आती है जहाँ दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित की जा सकती है और दो स्थानों पर पर्याप्त से अधिक खाली भूमि है।

(घ) प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पूलिंग नीति के उद्देश्य को विफल कर देता है।

(xxvii) 22 फरवरी, 2017 को, अधिनियम की खंड 19 के तहत घोषणा जारी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए संबंधित जिले से प्रस्ताव की प्राप्ति और विचार करने पर, सक्षम प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा जारी करने का समय छह (06) की अवधि के लिए बढ़ा दिया, अधिनियम की धारा 19 (7) के संदर्भ में 22 फरवरी, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से इसे सभी तरीकों से वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत अधिसूचित और प्रकाशित किया गया था।

(xxviii) दिनांकित 25 मई, 2017 को दिए गये विस्तृत उल्लेख के माध्यम से, जिलाधिकारी/वास्तविक नियंत्रण रेखा (द.प.), दिल्ली ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों के बारे में आवश्यक विवरण प्रदान किया और साथ ही 14 जनवरी, 2017 के ध्यान दे तो इसके माध्यम से मुख्य

सचिव द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को भी प्रदान किया गया और परियोजना के लिए अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्वास योजना के सारांश के साथ अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के लिए कलेक्टर की सिफारिश की मंजूरी के लिए फाइल प्रस्तुत की गई ।

इसके बाद उक्त नोट को उपयुक्त सरकार/सक्षम प्राधिकारी अर्थात माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के अनुमोदन के लिए 02 जून, 2017 को प्रस्तुत किया गया। उचित विचार-विमर्श के बाद, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल द्वारा 09 जून, 2017 को प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(XXiX) 20 जुलाई, 2017 को, दिल्ली जल बोर्ड ने 20 जुलाई, 2017 को 6,69,12,500/- रुपये की राशि के लिए एक चेक संख्या 560403 दिनांकित कॉर्पोरेशन बैंक, झंडेवालान शाखा, नई दिल्ली को कलेक्टर जिला दक्षिण पश्चिम को गांव ताजपुर खुर्द में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि की लागत के लिए प्रस्तुत किया।

(XXX) 27 जुलाई, 2017 को अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत एक घोषणा की गई थी, जिसके तहत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यू डब्ल्यू टी पी) की स्थापना के उद्देश्य से संबंधित भूमि का अधिग्रहण किया गया था।यह दर्ज किया गया कि ऐसा कोई परिवार नहीं

था जिसे पुनर्स्थापित किया जाना था और यह भी कि याचिकाकर्ता भूमि-स्वामी थे, किसान नहीं।

(xxxi) 08 अगस्त, 2017 को याचिकाकर्ताओं ने इस अधिग्रहण पर हमला करने या उसे चुनौती देने के बजाय, माननीय उपराज्यपाल,मुख्य कार्यकारी अधिकारी /दिल्ली जल बोर्ड और संभागीय आयुक्त को बगल की भूमि छोड़ने के लिए फिर से अभ्यावेदन दिया।

(xxxii) अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिसूचना जारी करने के बाद, कलेक्टर ने अन्य बातों के साथ-साथ, अपेक्षित पुरस्कार बनाने के उद्देश्य से संबंधित उप रजिस्ट्रार से बिक्री से संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करके अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का पता लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

(XXXIII) 09 नवंबर, 2017 को प्रशासकीय नोट पत्र/नोट दिनांक 08 नवंबर, 2017 (जिलाधिकारी (द.प.)/कलेक्टर के कार्यालय में 09 नवंबर, 2017 को प्राप्त) के माध्यम से, मंत्री के सचिव ने सचिव राजस्व और जिलाधिकारी (द.प.)/कलेक्टर दिल्ली को दिल्ली जल बोर्ड और राजस्व विभाग के लिए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के निर्देशों से अवगत कराया, साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों पर विषय

वस्तु में उक्त निर्देशों वाले सीडी नंबर 000440853 के हिस्से को नोट किया।

(XXXIV) चूंकि अधिग्रहण विभाग यानी दिल्ली जल बोर्ड ने परियोजना के लिए प्रभावित परिवारों को अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार के तत्वों को तय करने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध किया था, इसलिए अधिनियम की धारा 25 के तहत पुरस्कार बनाने के लिए समय के विस्तार के लिए जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पश्चिम) द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने 25 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी करने के समय को छह (06) महीने की अवधि तक बढ़ा दिया और इसे सभी तरीकों से वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत अधिसूचित और प्रकाशित किया गया।

(xxxv) 10 अक्टूबर, 2018 को याचिकाकर्ताओं ने गाँव ताजपुर खुर्द में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। 15 अक्टूबर, 2018 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की।

(IV) <u>याचीगण की तरफ से दलीलें</u>

19. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता का परीक्षण निम्नलिखित सिद्धांतों पर किया जाना हैः

> *क. किसी भी अनिवार्य अधिग्रहण को संविधान के अनुच्छेद 300क की कठोरता के साथ खड़ा होना चाहिए और अनिवार्य रूप से कानून के अनुसार होना चाहिए।*
> *ख. आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत शुरू किया गया आक्षेपित अधिग्रहण, जिसमें अधिग्रहण से पहले और बाद में सुरक्षा उपायों की एक योजना निर्धारित की गई है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण और न्यायोन्मुखी हो।*
> *ग. प्रतिष्ठित क्षेत्र के सिद्धांत पर आधारित अधिग्रहण अनिवार्य/अपरिहार्य है और केवल प्रक्रिया की सुरक्षा उपलब्ध है।*
> *घ. एक अनुचित कानून होने के कारण, प्रत्येक प्रावधान/प्रक्रिया का अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसे सख्ती से और बहुत सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।*

यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्यर्थियों द्वारा शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही उपरोक्त परीक्षणों को उत्तीर्ण करने में विफल रही क्योंकि कार्यवाही न तो निष्पक्ष है और न ही पारदर्शी है और याचिकाकर्ता को अधिग्रहण के लिए भूमि की पहचान करने के अभ्यास से बाहर रखा गया था। प्रक्रियात्मक कठोरता को प्रत्यर्थियों द्वारा अनदेखा किया गया है और अन्य भूमि की उपलब्धता को अनदेखा करते हुए अधिग्रहण किया गया है।

20. यह आग्रह किया जाता है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के साथ-साथ अध्यादेश की धारा 10क के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना अध्यादेश की समाप्ति के बाद अप्रभावी और निष्क्रिय है और कार्यवाही को आगे बढ़ाने में जारी नहीं रखा जा सकता है और इसे सहेजा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, 31 अगस्त, 2015 को अध्यादेश के बंद होने के बाद आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 के तहत की गई कार्यवाही और लेन-देन भी जारी नहीं हैं।

कृष्ण कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (पूर्वोक्त) में टिप्पणियों पर भरोसा किया गया । यह आग्रह किया जाता है कि पीठ का सहमत दृष्टिकोण यह था कि अध्यादेश जारी करने के लिए लागू की गई शक्ति की प्रकृति इस तरह के अध्यादेशों से प्रभावित लोगों के पक्ष में किसी भी स्थायी अधिकार के सृजन को स्वीकार नहीं करती है। इसके अलावा, माननीय न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की टिप्पणियों के अनुसार, जब कोई अध्यादेश काम करना बंद कर देता है, तो उस तारीख को पाइपलाइन में सभी कार्य समाप्त हो जाएंगे और पाइपलाइन कार्य जारी नहीं रह सकते हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि न तो कोई लंबित कार्यवाही या लेनदेन और न ही कोई निष्कर्षित कार्यवाही या लेनदेन एक अध्यादेश की समाप्ति की तारीख के बाद जीवित रह सकता है और एक अध्यादेश के तहत कार्यवाई /लेनदेन अध्यादेश के जीवन के बाद जारी नहीं रहते हैं।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक अध्यादेश के तहत की गई या समाप्त की गई कार्यवाइयों के लिए, इसके समाप्त होने के बाद भी जारी रखने के लिए, एक व्यावृति खंड की आवश्यकता होती है और अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों, देनदारियों की बचत के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है जो एक अध्यादेश के तहत उत्पन्न हुआ है जिसका संचालन बंद हो गया है। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यावृति खंड की अनुपस्थिति में, भारत का संविधान अध्यादेश के दौरान लंबित या समाप्त कार्यों या लेनदेन को किसी भी हद तक स्थायी नहीं बनाता है।

इसके अलावा, माननीय न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा उपरोक्त निर्णय के पैरा 133.2-135 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि स्थायी अधिकार सिद्धांत जिसे अंग्रेजी निर्णयों में अस्थायी विधियों पर लागू किया गया था, एक अध्यादेश के प्रभाव की व्याख्या करते समय गलत तरीके से लाया गया था जो अब प्रभावी नहीं रह गया है। यह इंगित किया जाता है कि एक अध्यादेश को एक अस्थायी अधिनियम के बराबर मानने में एक बुनियादी भ्रांति है और अध्यादेश जारी करने के लिए लागू की गई शक्ति की प्रकृति ऐसे अध्यादेशों से प्रभावित लोगों के पक्ष में किसी भी स्थायी अधिकार के निर्माण की अनुमति नहीं देती है। निर्णय के पैरा 4, 56,

63 से 73, 133 से 135, 136, 137, 145 और 146 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

निर्णय के पैरा 132 का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 केवल एक अधिनियम के निरसन के मामले में अधिकारों और देनदारियों की रक्षा करती है और जारी रखती है और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 एक अध्यादेश के मामले में प्रत्यर्थी के बचाव में नहीं आती है, क्योंकि एक अध्यादेश विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहने पर समाप्त हो जाता है/बंद हो जाता है, जबकि 'निरसन' कानून द्वारा होता है। ***पंजाब नेशनल बैंक बनाम भारत संघ और अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 227*** पर भरोसा किया गया है।

उक्त निर्णय के पैरा 71-73 और 148 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के विचारों के अनुसार, अपरिवर्तनीय प्रभाव या सार्वजनिक हित या संवैधानिक आवश्यकता का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। राहत देते हुए, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि अध्यादेश के तहत जो किया गया है उसे रद्द करना सार्वजनिक हित या संवैधानिक आवश्यकता के विपरीत होगा या नहीं।

21. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने ***आलोक अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, रि.या.(सि) संख्या 1401/2015,*** इस पर ***03.11.2017*** को निर्णय हुआ था, इसका हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत को

वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक निर्णय पारित नहीं हुआ है। यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त)*** में निर्णय के बाद अध्यादेश की धारा 10क के साथ 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था और कहा था कि ऐसी अधिसूचना उस तिथि से समाप्त हो जाएगी जिस तिथि से अध्यादेश प्रभावी होना बंद हो गया था, क्योंकि स्थिति अपरिवर्तनीय नहीं हुई है और केवल 2013 अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अलावा, चूंकि न तो कोई अवार्ड पारित किया गया था और न ही याचिकाकर्ताओं से कब्जा लिया गया था, इसलिए अध्याय-II और अध्याय-III के प्रावधानों का समुचित सरकार द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए था और उक्त प्रावधान का अनुपालन किए बिना याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण असंतुलित और कानून की दृष्टि से गलत है। इसके अलावा, चूंकि न तो अधिनिर्णय पारित किया गया था और न ही याचिकाकर्ताओं से कब्जा लिया गया था, इसलिए अध्याय-II और अध्याय-III के प्रावधानों का उचित सरकार द्वारा पालन किया जाना चाहिए था और उक्त प्रावधान का पालन किए बिना, याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण अस्थिर और कानून की दृष्टि से गलत है।

22. यह भी तर्क दिया जाता है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना अधिग्रहण के

लिए अनिवार्य है और अधिनियम के तहत आगे की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। यह आग्रह किया जाता है कि एक बार जब आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 की धारा 10क (1) (ड.) के साथ पठित धारा 11 के तहत अधिसूचना अध्यादेश के समाप्त होने के कारण जीवित नहीं रहती है, तो उसके तहत की गई कार्यवाही को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, प्रारंभिक अधिसूचना को आगे बढ़ाने में अधिग्रहण की कार्यवाही कानून में खराब है और बिना किसी आधार के है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने की आड़ में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के अस्तित्व से संबंधित प्रत्यर्थी का तर्क असमर्थनीय है क्योंकि सरकार को न्यायालय के निर्देशों को लागू करने की आड़ में स्पष्ट कानूनी प्रावधानों और प्रक्रिया का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त तर्क के समर्थन में, ***देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, (2011) 9 एस. सी. सी. 164 पर निर्भरता रखी गई है।***

23. अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे सभी चरणों में बुद्धि के पूर्ण गैर-अनुप्रयोग के लिए कानून में अस्थिर कहा जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि एसटीपी के निर्माण के उद्देश्य से भूमि की पहचान से संबंधित पूरी कार्यवाही बिना किसी सार्थक सर्वेक्षण या जांच के की गई थी और यह पूरी तरह से अधिकारियों के विवेक पर की गई थी। कहा जाता है कि एकमात्र सर्वेक्षण 30

जून, 2015 को किया गया था, जबकि चयन/पहचान 13 मई, 2015 को की गई थी। यह बताया गया है कि खंड 4 जनता और प्रभावित व्यक्तियों के परामर्श और भागीदारी को उस स्तर पर भी अनिवार्य करती है जब सरकार केवल भूमि अधिग्रहण करने का इरादा रखती है। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड सीवरेज मास्टर प्लान-2031 को चयन के समय उपलब्ध नहीं बताया गया है।

24. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भूस्वामियों को आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 के अनिवार्य प्रावधानों से वंचित करने के लिए दूसरे अध्यादेश की धारा 10क के तहत प्रदत्त शक्तियों को लागू करने की आवश्यकता, तात्कालिकता, आधार और नींव के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। इस संबंध में प्रतिवादियों द्वारा दिए गए कारणों को बिना किसी प्रासंगिकता के बताया गया है। यह आग्रह किया गया है कि अध्यादेश की धारा 10क के प्रावधान में भी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, जबकि अधियाचन विभाग/आर5/दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा जारी करने के बाद भी इसके बारे में निश्चित नहीं था।

25. यह भी तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा माननीय उपराज्यपाल को अंधेरे में रखते हुए प्राप्त की गई थी और भूमि मालिकों द्वारा दायर आपत्तियों या वास्तविक नियंत्रण रेखा की रिपोर्ट की

सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15 के तहत आपत्तियों को प्रभावी ढंग से और निष्पक्ष रूप से निपटाए बिना और इसे केवल औपचारिकता बनाए बिना खारिज कर दिया गया है। विवादों के समर्थन में, ***गौजेर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2013) 16 एस. सी. सी. 660 और उषा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2013) 4 एस. सी. सी. 210 पर निर्भरता रखी गई है।***

26. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही शक्ति के रंगीन प्रयोग को दर्शाती है जो दुर्भावना, भेदभाव, मनमानेपन और पक्षपात से दूषित होती है। कहा जाता है कि 21 बीघा 1 बिसवा की निजी कंपनी की भूमि को तिरछे कारणों से अधिग्रहण से बाहर रखा गया था और केवल याचिकाकर्ताओं की भूमि को अधिग्रहण के लिए गलत तरीके से शामिल किया गया था। विशेष भूमि के अपवर्जन/समावेश के लिए तुलनीय उपयुक्तता के बारे में कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया गया है और यह भी कहा गया है कि एस. एम. पी.-2031 में एस. टी. पी. के स्थान से विचलन क्यों किया गया था, जब खाली भूमि पहले से ही वहां उपलब्ध थी। कहा जाता है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को लाभ देने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के स्वामित्व वाली निरंतर भूमि की बड़ी पटरियों के बीच उठाया गया था।

27. प्रस्तावित अधिग्रहण को एस. एम. पी.-2031, एम. पी. डी.-2021, क्षेत्रीय विकास योजना और डी. डी. ए. की लैंड पूलिंग नीति का उल्लंघन बताया गया है। आग्रह किया जाता है कि गाँव ताजपुर खुर्द डी. डी. ए. की भूमि पूलिंग नीति के लिए पात्र क्षेत्र में आता है और याचिकाकर्ताओं ने पहले ही उक्त योजना में अपनी भूमि को सौंपने का विकल्प चुना था और आवेदन किया था। यह बताया गया है कि उक्त योजना के तहत पूल्ड भूमि का 40 प्रतिशत विकास उद्देश्यों के लिए डी. डी. ए./सरकार को उपलब्ध है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की भूमि जिसे अब डी. डी. ए. से लैंड पूलिंग नीति द्वारा से लेने पर अधिग्रहित करने की मांग की जाती है, सरकारी खजाने को मुफ्त में उपलब्ध होगी और वह भी जनहित में। रिलायंस को आगे ***आर. के. मित्तल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2012) 2 एस. सी. सी. 232 पर भरोसा रखा गया है।***

28. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को अधिनियम के अध्याय II और अध्याय III के प्रावधानों का पालन किए बिना रोक दिया जाना चाहिए। आगे ***वल्लूरी जयराम और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी 3396, करी प्रताप रायला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी 4034 और कनुपार्थी वेंकट सिंहाद्री बनाम तेलंगाना राज्य, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन टी. एस. 2312 पर भरोसा रखा गया है।***

(V) <u>प्रत्यर्थीगण की ओर से दलीलें</u>

29. दोनों रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थी की ओर से उठाए गए तर्क समान हैं। रि.या.(सि.) 320/2018 और रि.या(सि.) 11104/2018 में प्रत्यर्थी 1 से 3 और प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भी प्रत्यर्थी संख्या 5 डीजेबी की ओर से रि.या.(सि.) संख्या 11104/2018-युद्धवीर सिंह और अन्य बनाम जीएनसीटीडी और अन्य में किए गए प्रस्तुतीकरण पर भरोसा करते हैं।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाएं विलंब, लापरवाही, छूट, स्वीकृति और रोक के कारण सुनवाई योग्य नहीं हैं। रिट याचिकाएं 28 अगस्त, 2015 को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत आपत्तिजनक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लगभग दो से तीन साल बाद और क्रमशः 24 अगस्त, 2017 को {रि.या. (सि.) 320/2018)} और 27 जुलाई, 2017 को {रि.या. (सि.) 11104/2018} में आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा जारी होने के बाद ही कोई पर्याप्त कारण बताए बिना, दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं के बारे में आगे कहा गया है कि उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष आपत्तियां दर्ज करके, अभ्यावेदन और शिकायतें करके अधिग्रहण की कार्यवाही की प्रक्रिया में भाग लिया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने अपने स्पष्ट आचरण से प्रस्तावित अधिग्रहण की कार्यवाही में सहमति जताई और अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता और मान्यता पर सवाल

उठाने के अपने अधिकार को छोड़ दिया। यह भी आग्रह किया गया है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने की तारीख से अधिग्रहण की कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी थी और यहां तक कि धारा 19 के तहत घोषणा 24 अगस्त, 2017 और 27 जुलाई, 2017 को जारी की गई थी। दलीलों के समर्थन में, ***मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भाईलाल भाई और अन्य, 1964 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 10, अफलातून और अन्य बनाम*** पर निर्भरता रखी गई है। ***दिल्ली के उप राज्यपाल और अन्य, (1975) 4 एस. सी. सी. 285, महाराष्ट्र राज्य बनाम दिगंबर, (1995) 4 एस. सी. सी. 683 और बांदा विकास प्राधिकरण बनाम मोती लाल अग्रवाल और अन्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 394 और अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक और एक अन्य बनाम एम. जे. जेम्स, (2022) 2 एस. सी. सी. 301*** ।

याचिकाकर्ताओं ने स्वच्छ मन से इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है, क्योंकि संपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किए गए हैं या उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। ***वी. चंद्रशेखरन और अन्य बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य, (2012) 12 एससीसी 133 और रामजस फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2010) 14 एससीसी 38 पर भी भरोसा किया जाता है।***

30. ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा रखते हुए अध्यादेश के समाप्त होने पर अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए प्राथमिक तर्क पर जोरदार

विवाद हुआ है। साथ ही, दुर्भावनापूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ***मनोज कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से की गई थी। यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के निजी हित की तुलना में सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक हित सर्वोपरि है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी। कहा जाता है कि इस मामले को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 और आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आगे बढ़ाया गया है। उन तिथियों की विस्तृत सूची का भी संदर्भ दिया जाता है जो पहले ही यह तर्क देने के लिए देखी जा चुकी हैं कि अधिनियम के संदर्भ में सम्यक प्रक्रिया का पालन किया गया था और याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर आपत्तियों पर कानून के अनुसार विधिवत विचार किया गया था। कहा जाता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही बिना किसी चुनौती के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए अन्य गांवों में पहचानी गई भूमि के संबंध में की गई थी, लेकिन वर्तमान रिट याचिकाओं में शामिल भूमि के संबंध में ही आपत्तियां उठाई गई थीं।

31. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि ***कृष्ण कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) में तथ्यात्मक स्थिति अलग है क्योंकि उक्त मामले में, संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए अध्यादेशों में से कोई भी राज्य विधानमंडल के समक्ष अनिवार्य रूप से नहीं रखा गया था। इसके अलावा, राज्य विधानमंडल ने अध्यादेशों के संदर्भ में कोई कानून नहीं बनाया और उनमें से अंतिम को समाप्त होने दिया गया। यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान मामले में, शुरू में 31 दिसंबर, 2014 को अध्यादेश की घोषणा के बाद, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) विधेयक, 2015 को 24 फरवरी, 2015 को पेश किया गया था, जिसे लोक सभा में पारित किया गया था, लेकिन इसे राज्य परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को 3 अप्रैल, 2015 को लागू किया गया था। इसके बाद, 11 मई, 2015 को लोक सभा में आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पेश किया गया, जिसने विधेयक को सदनों की संयुक्त समितियों को भेज दिया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को निरंतर प्रभाव देने के लिए, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 31 मई, 2015 को जारी किया गया था।

32. यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (अन्य) के पैरा 93 में तीन गुना परीक्षण देखा गया था अर्थात्त प्रभाव की अपरिवर्तनीयता का पहला परीक्षण, अध्यादेश के तहत उत्पन्न परिणाम को उलटने की दूसरी अव्यावहारिकता और तीसरा जनहित का परीक्षण है इस सवाल के बारे में कि क्या अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व और देयताएं अध्यादेश में बनी रहेंगी। संविधान पीठ के बहुमत के दृष्टिकोण को उक्त निर्णय के पैरा 105.12 में निष्कर्ष में दर्ज किया गया है, जो कि अब प्रभावी नहीं रह गया है, यह मानते हुए कि इस प्रश्न को निर्माण के मामले के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त परीक्षण के आलोक में, याचिकाकर्ताओं को दावा किए गए राहत के लिए अयोग्य बताया गया है क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही सार्वजनिक हित में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना के उद्देश्य से की गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में तीन अध्यादेशों की वैधता या मान्यता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का मामला विफल हो जाए यहां तक कि 'संवैधानिक आवश्यकता' की कसौटी पर भी क्योंकि न तो सार्वजनिक उद्देश्य (डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी. की स्थापना) पर कोई विवाद है और न ही उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई चुनौती है।

33. ***दतला वेंकट अप्पाला प्रसादराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एपी 2526*** पर भी भरोसा रखा गया है, जिसमें खण्ड पीठ ने ***कृष्ण***

कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (पूर्वोक्त) पर भरोसा रखते हुए अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई धारा 10क के तहत अधिनियम के अध्याय II और अध्याय III के प्रावधानों से परियोजनाओं को छूट देते हुए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं और अपीलों को खारिज कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त रिट याचिका में भी, परियोजनाओं को 2014 के अध्यादेश 9 द्वारा अंतःस्थापित धारा 10क के तहत अधिनियम के अध्याय II और अध्याय III के प्रावधानों से छूट दी गई थी।

34. ***चमेली सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (1996) 2 एस. सी. सी. 549 और प्रथम भूमि अधिग्रहण संग्रहक और अन्य बनाम निरोध प्रकाश गंगोली और अन्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 160*** पर भरोसा रखते हुए, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा पूर्व-अधिसूचना और अधिसूचना के बाद की देरी से आत्ययिकताखंड को लागू करने की शक्ति का प्रयोग अमान्य नहीं होगा।

35. ***दीपक रिसॉर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड भारत संघ और अन्य, 149 (2008) डी. एल. टी. 582 (डी. बी.),*** यह भी आग्रह किया जाता है कि जिस स्थान पर अपशिष्ट जल उपचार सयंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए, उसका चयन कार्यपालिका के निर्णय पर छोड़ दिया जाए और चयन में हस्तक्षेप तब तक अनावश्यक है, जब तक कि निर्णय इतना विकृत न हो कि कोई भी

उपयुक्त व्यक्ति इसे स्वीकार न कर सके। ***रमनिकलाल एन. भुट्टा और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 1997 (1) एस. सी. सी. 134*** पर निर्भरता रखते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल न्यायाधीश के हित को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि केवल वैधानिक मुद्दा बनाने के लिए। वर्तमान मामले में दुर्भावना का अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार दूषित जल उपचार सयंत्र की स्थापना के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी।

36. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि अध्यादेश के खंड 15 में मूल अधिनियम के तहत की गई सभी कार्यवाहियों के लिए एक व्यावृति खंड का प्रावधान है, जिसे अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा। अधिग्रहण के बाद प्राप्त अधिकारों को अध्यादेश की समाप्ति के बाद भी कायम रहने और बने रहने के लिए कहा गया है क्योंकि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था।

37. यह भी बताया गया है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 और 19 के तहत जारी अधिसूचनाएं और उसके तहत कार्यवाही न्यायसंगत और वैध है और उपयुक्त सरकार से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद सक्षम प्राधिकरण द्वारा की गई है, जिसे सभी तथ्यों, सामग्री और विवेक के उचित अनुप्रयोग पर विचार करने के बाद दिया गया था।

38. रि. या.(सि.) 11104/2018 में प्रत्यर्थी संख्या 5 दिल्ली जल बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि भूमि अधिग्रहण एजेंसी के पास प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा मुआवजे की राशि भी जमा की गई थी और केवल जब इसे पारित किया जाना था, तो याचिकाकर्ताओं ने 28 अगस्त, 2015 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने की तारीख से दो साल से अधिक की अवधि के बाद जनवरी और अक्टूबर, 2018 में रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई। याचिकाकर्ताओं ने निराधार आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कीं, लेकिन जब परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं गए, तो उन्होंने अधिसूचनाओं और घोषणाओं को चुनौती दी। कहा जाता है कि रिट याचिका केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता मामले को बंद करने के बाद ही दायर की गई थी, जबकि चुनौती 28 अगस्त, 2015 को धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद दी जा सकती थी।

39. ***शहरी सुधार ट्रस्ट, उदयपुर बनाम भैरू लाल और अन्य, (2002) 7 एससीसी 712, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड बनाम जावर चंद पोपटलाल सुमारिया और अन्य, (1996) 4 एससीसी 579 और हरि सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, (1984) 2 एससीसी 624*** का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहां सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, वहां न्यायालय को सावधानी बरतनी चाहिए थी और देरी के आधार पर रिट

याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिनके लाभ के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। यह भी आग्रह किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह देखा गया है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उन व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाना चाहिए जो लापरवाही और अत्यधिक देरी के दोषी हैं। ***महंत नारायण देसजीवारू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1959 एपी 471 और आर्से पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अल्फाइन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2022) 2 एससीसी 221*** का भी संदर्भ दिया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या 5 दिल्ली जल बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने ***प्रशासनिक व्यवस्था (पृष्ठ 300 से 307), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 9वें*** संस्करण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि न्यायालय यह मान सकता है कि अधिनियम या आदेश अमान्य है लेकिन याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर सकता है जैसा कि नीचे दिए गए प्रासंगिक पैराग्राफ में संदर्भित हैः

> *"हालांकि, इस तरह का एक आत्यन्तिक परिणाम आवश्यक कानूनी उपचार देने के लिए अदालत की इच्छा पर निर्भर करता है। अदालत यह मान सकती है कि अधिनियम या आदेश अमान्य है, लेकिन आवेदक को उसकी स्थिति की कमी के कारण राहत देने से इनकार कर सकती है। "क्योंकि वह एक विवेकाधीन उपचार का हकदार नहीं है "क्योंकि उसने अपने अधिकारों को माफ कर दिया है, या किसी अन्य कानूनी कारण से।ऐसे किसी भी*

मामले में 'शून्य' आदेश प्रभावी रहता है। और, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए जैसे कि यह वैध था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक आदेश एक उद्देश्य के लिए अमान्य हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए वैध भी हो सकता है; और यह कि यह एक व्यक्ति के खिलाफ अमान्य हो सकता है लेकिन दूसरे के खिलाफ वैध हो सकता है। "एक सामान्य मामला जहां एक आदेश, हालांकि अमान्य है, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मान्य हो जाता है, वह है जहां एक वैधानिक समय सीमा समाप्त हो जाती है जिसके बाद इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। "अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि अमान्य आदेश वैध होगा; लेकिन अधिनियमी उपायों में कटौती करके यह उस परिणाम को उत्पन्न करता है। "जैसा कि लॉर्ड डिप्लॉक ने एक अनिवार्य क्रय आदेश के बारे में कहा था जिसे कथित रूप से बुरे विश्वास में किया गया था, लेकिन सीमा अवधि की समाप्ति के बाद चुनौती दी गई थी, आदेश का 'इसकी संभावित अयोग्यता के बावजूद कानूनी प्रभाव था'।

40. ***कृष्णा देवी मालचंद कामथिया और अन्य बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप और अन्य, (2011) 3 एससीसी 363*** में पैरा 16 से पैरा 19 पर भरोसा किया गया है, ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि याचिकाकर्ताओं ने "अध्यादेश" को चुनौती नहीं दी है या उस पर हमला नहीं किया है, लेकिन सरकार के कार्यों को अमान्य करार दिया है। यह तर्क दिया गया है कि एक आदेश, भले ही सद्भावना में न बनाया गया हो, फिर भी कानूनी परिणामों में सक्षम एक कार्य है और जब तक अमान्यता का कारण स्थापित करने और इसे रद्द करने या अन्यथा परेशान करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है, तब तक यह अपने स्पष्ट उद्देश्य के लिए प्रभावी रहेगा।

41. प्रत्यर्थी सं. 5 दिल्ली जल बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 से संबंधित अध्यादेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए इसे संसद के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता महसूस हो। अध्यादेश के तहत अधिनियम की धारा 11 के निरसन या नए अधिनियम के रूप में ऐसे किसी प्रावधान का कोई सवाल ही नहीं था, जिसे संसद में विचार के लिए पेश करने की आवश्यकता हो। अध्यादेश ने बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए और अध्याय IIIक को शामिल करने का सुझाव देकर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिनियम के अध्याय II और अध्याय III की प्रयोज्यता को छुपाया गया । इस समावेशन को क़ानून की पुस्तक में नहीं लाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 2014 को पेश किया गया अधिनियम अप्रभावित रहा। इसलिए आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी की गई प्रारंभिक अधिसूचना अप्रभावित रही क्योंकि इसे अधिनियम के तहत जारी किया गया था न कि अध्यादेश के तहत। इस प्रकार, आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करते समय शक्ति के प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं थी।

42. यह भी आग्रह किया जाता है कि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुपालन किया गया था, क्योंकि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने से पहले, अधिग्रहण के उद्देश्य और

भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का सख्ती से पालन किया गया था। अधिग्रहण एजेंसी द्वारा पर्यावरण पर अधिग्रहण के प्रभाव पर विचार किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी विस्थापित न हो और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई।

43. अध्यादेश की धारा 15 में कहा गया है कि मूल अध्यादेश की धारा 15 में मूल अधिनियम के अंतर्गत की गई सभी कार्रवाइयों के लिए एक व्यावृत्ति खण्ड का प्रावधान किया गया है, जिसे अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अंतर्गत किया गया माना जाएगा।

44. मुंबई के डॉ. ***अब्राहम पटानी और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1143*** पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि सार्वजनिक हित हमेशा निजी हित पर हावी रहेगा और निजी हित को आम जनता के हित के लिए रास्ता देना चाहिए। ***63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2019) 18 एस. सी. सी. 401*** का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में जहां 'लोक हित' वाक्यांश की व्याख्या की गई है, यह देखा गया है कि 'लोक हित' अभिव्यक्ति का अर्थ जनता का कल्याण या समग्र रूप से समाज का हित होगा, जो कि निजी व्यक्तियों के एक समूह के स्वार्थी हित के विपरीत है। इस प्रकार, 'जनहित' में राष्ट्र के लिए आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के हित को ध्यान में रखा जा सकता है, ताकि वे राष्ट्र के कल्याण और प्रगति में

योगदान कर सकें, और ऐसा करते हुए, बहुत से आवश्यक रोजगार भी प्रदान कर सकें।

45. याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई *दुर्भावनापूर्ण* दलील भी निरर्थक है, क्योंकि कहा गया है कि संबंधित भूमि अधिक उपयुक्त पाई गई है, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की 17 जुलाई, 2015 की रिपोर्ट के अनुसार जांच के बाद आवश्यकता 50 बीघा से घटाकर 30 बीघा कर दी गई थी। ***भरत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (1988) 4 एससीसी 534*** का हवाला दिया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि सरकार केवल उतनी ही भूमि का अधिग्रहण करेगी, जो संबंधित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक और उपयुक्त है। कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त मानते हुए अधिग्रहित किया गया है। यह आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता केवल इसलिए किसी भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य व्यक्तियों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई ।

46. प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने की तारीख से, रिट याचिका दायर होने तक, यह स्पष्ट कहा जाता है कि 'उपयुक्त सरकार' दूषित जल निवारक संयंत्र का निर्माण करना चाहती थी और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए कि अपशिष्ट और प्रदूषित पानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एन. जी. टी. के निर्देशों के अनुरूप यमुना नदी में प्रवेश न करे। पूरी परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था और इसे पूरा करने के लिए कदम उठाए गए थे और

कहा गया है कि कोई कार्यवाही पाइपलाइन में नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित विशिष्ट क्षेत्र का उपयोग उपयुक्त सरकार द्वारा विधि के अनुसार किया गया है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति कि विचाराधीन भूमि आवासीय क्षेत्र में आती है या भूमि का उपयोग भूमि पूलिंग नीति के विपरीत है, विवादित है।

(VI) <u>याचिकाकर्ताओं की ओर से खंडन प्रस्तुतियाँ</u>

47. प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता दोहराते हैं कि अध्यादेश के तहत की गई एकमात्र कार्रवाई 28 अगस्त, 2015 की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करना है और ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) के फैसले के आलोक में इस अधिग्रहण की प्रक्रिया में पाइपलाइन में कार्यवाही के रूप में कहा जा सकता है न कि अध्यादेश के तहत एक निष्कर्षित अधिनियम के रूप में। अध्यादेश के समाप्त होने के बाद भी केवल अपरिवर्तनीय कार्य ही चलते रहते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कोई भी कार्य अपरिवर्तनीय प्रकृति का नहीं है और इसे पूर्ववत करना सार्वजनिक उद्देश्य के प्रति पूर्वाग्रह युक्त होगा। प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि अधिनियम अध्यादेश में व्यावृति खंड द्वारा सहेजे गए हैं, असमर्थनीय बताया गया है। अध्यादेश अपनी प्रकृति से किसी भी व्यावृति खंड का प्रावधान नहीं कर सकता है। दूसरा, व्यावृति खंड के शब्दों का अपने आप में स्पष्ट रूप से अध्यादेश के तहत किए गए कार्यों को केवल तभी बचाने का इरादा है जब

अध्यादेश को मंजूरी दी जाती है और प्रधान अधिनियम को अध्यादेश द्वारा संशोधित किया जाता है।

48. यहाँ यह जोरदार तरीके से तर्क दिया गया है कि दलीलों के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से उठाए गए पर्याप्त अनुपालन का अनुरोध अभिवचनों में बिल्कुल नहीं उठाया गया था। इसके अलावा, अधिनियम के अध्याय II और III के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण पूरी तरह से अलग है और यह एक तय स्थिति है कि अधिनियम के तहत जो अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है, वह उसके तहत निर्धारित तरीके, प्रक्रिया और प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

49. ***दतला वेंकट अप्पाला प्रसादराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (पूर्वोक्त) पर प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई निर्भरता को तथ्यों के आधार पर अलग बताया जाता है, क्योंकि इसमें अधिग्रहण की कार्यवाही में बहुत प्रगति हुई थी, जैसे सहमति पुरस्कार पारित किए गए थे, 1937 प्रभावित भूमि मालिक सहमति पुरस्कार के लिए सहमत हो गए थे, 2064 एकड़ भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था, भूमि मालिकों को 678 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया था और चूंकि केवल 37 एकड़ भूमि बची थी, इसलिए अदालत ने कहा कि ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (पूर्वोक्त)*** में निर्धारित अपरिवर्तनीयता, अव्यावहारिकता और सार्वजनिक हित की जांच संतुष्ट थी। हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी यह

दिखाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं कि क्या अधिनियम की धारा 11 के तहत केवल अधिसूचना जारी करने के अलावा अध्यादेश के तहत कोई अन्य कार्य किया गया था।

50. यह भी आग्रह किया जाता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही को विभिन्न चरणों में तब तक चुनौती दी जा सकती है जब तक कि भूमि का हस्तांतरण नहीं हो जाता है, जो केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 16 या 2013 अधिनियम की धारा 38 के तहत पारित होने के बाद भौतिक कब्जा लेने से होता है और प्रत्येक चरण में वाद हेतुक एक अलग कारण उत्पन्न होता है। आगे ***अनिल कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा रखा गया है। यह इंगित किया गया है कि वर्तमान मामले में, न तो अधिनिर्णय किया गया है और न ही अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया गया है, न ही भूमि के निहित होने की धारणा की जा सकती है और रिट याचिकाओं को प्राथमिकता देने में कोई देरी नहीं है। उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों को तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है क्योंकि इसमें अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी जो विचाराधीन भूमि को सौंपने के बाद दी गई थी।

51. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न गाँवों में सभी अपशिष्ट जल निवारण संयंत्र परियोजनाओं को आपस में जोड़ने के संबंध में कोई याचिका नहीं ली गई थी और न ही इस दलील में कोई याचिका दायर की गई थी कि वर्तमान मामले में अधिग्रहण को रद्द करने से अन्य सभी परियोजनाएं

प्रभावित होंगी। यह आग्रह किया जाता है कि प्राधिकरणों की ओर से अधिसूचना से पहले और बाद में देरी और अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा करने के लिए बार-बार विस्तार, और अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गए आत्ययिकताके अनुरोध को ध्वस्त कर दिया गया है। आगे ***दर्शन लाल नागपाल बनाम दिल्ली के एन. सी. टी. और अन्य, (2012) 2 एस. सी. सी. 327*** पर भरोसा रखा गया है।

52. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे दोहराते हैं कि अधिनियम की धारा 15 के तहत वैधानिक आपत्तियों को दायर करने और अधिग्रहण पर आपत्ति जताने वाले सक्षम अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन को अधिग्रहण में सहमति या भागीदारी या याचिकाकर्ताओं की ओर से छूट/रोक/सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है और व्याख्या नहीं की जा सकती है।

(VII) <u>निष्कर्ष/विश्लेषण</u>

53. शुरुआत में, ***चेट्टियार एंड संस और अन्य बनाम टी पलानीसामी गौंडर, (2002) 5 एससीसी 337*** पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से एक तर्क उठाया गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा अपनी दलीलों में लिए गए आधारों को उनकी दलीलों में स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्रत्यर्थियों द्वारा इसका खंडन किया गया है और यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा संचालित कार्यवाही स्व-भाषित है और उन पर प्रत्यर्थियों द्वारा भरोसा किया गया है और उन्हें रिकॉर्ड में रखा गया

है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने दलीलों में या द्वेष के आरोपों को साबित करने के लिए पूरी तरह से तथ्यात्मक विवरण को दबा दिया है और पूरी तरह से सामने नहीं लाया है। ***भरत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर भी भरोसा रखा गया है।

हमारा विचार है कि चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा की गई कार्यवाही को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ रिकॉर्ड में रखी गयी है, इसलिए दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के आलोक में प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद याचिकाओं का निपटारा किया जा सकता है। दोषपूर्ण या अस्पष्ट दलीलें घातक नहीं होंगे, दोषपूर्ण या अस्पष्ट दलीलें घातक नहीं होंगी, अगर पक्षों ने समझ लिया है कि मामला क्या है और तदनुसार अदालत के सामने सामग्री रखी है, और अगर कोई भी पक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। इस संबंध में ***राम नारायण अरोड़ा बनाम आशा रानी, (1999) 1 एस. सी. सी. 141*** का उल्लेख किया जा सकता है।

यह भी देखा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति विवेकाधीन है और इसका उपयोग केवल न्यायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, न कि केवल एक कानूनी बिंदु के निर्माण के लिए, जैसा कि भूमि अधिग्रहण के मामले में न्यायिक हित और सार्वजनिक उद्देश्य एकजुट होते हैं।

क . ***<u>क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाएँ विलंब और लापरवाही या सहमति या अधिकारों के त्याग के आधार पर वर्जित हैं</u>***

54. प्रत्यर्थियों ने रिट याचिकाओं पर देरी और लापरवाही के कारण रोक लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अधिग्रहण कार्यवाही में सहमति जताने वाले याचिकाकर्ता कार्यवाही की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते। यह बताया गया है कि हालांकि एक अल्ट्रा वायर्स क़ानून को सहमति से वैध नहीं किया जा सकता है, लेकिन सहमति जताने वाले पक्ष को इस पर सवाल उठाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा, सभी मामलों में कार्यवाही को अनिवार्य रूप से रद्द नहीं किया जाना चाहिए, यद्यपि आदेश शून्य हो सकता है, यदि पक्षकार उचित समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाता है, जो हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है। आगे ***महंत नारायण देशजीवरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त), कृष्ण देवी मालचंद कामठिया और अन्य बनाम बॉम्बे पर्यावरण कार्यवाही समूह और अन्य (पूर्वोक्त), राजस्थान राज्य और अन्य बनाम डी. आर. लक्ष्मी और अन्य, (1996) 6 एस. सी. सी. 445*** और ***लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1998) 4 एस. सी. सी. 387*** पर भरोसा रखा गया है।

55. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत आपत्तियों के माध्यम से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का शुरुआत से ही विरोध किया गया है और चुनौती दी गई है। इस संबंध में एक अनुस्मारक जारी किया गया था और 11 दिसंबर, 2015 को सुनवाई नोटिस के

चरण में आपत्तियों को दोहराया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले को अभ्यावेदन/अनुस्मारक के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों के साथ उठाया गया था, जिसमें अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी और इसे 2017 तक दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन और भेदभाव से दूषित किया जा रहा था। कहा जाता है कि अधिकारियों द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदनों के आधार पर सतर्कता जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। कहा जाता है कि धारा 19 के तहत घोषणा केवल 27 जुलाई, 2017 को जारी की गई थी। कहा जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही के खिलाफ 08 अगस्त, 2017 को अभ्यावेदन दायर किए गए थे और याचिकाकर्ताओं के पास कोई अन्य विकल्प नहीं रहने के बाद 2018 में वर्तमान कार्यवाही शुरू की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुरस्कार अभी तक एल. ए. सी. द्वारा पारित नहीं किया गया है। आगे ***रॉयल ऑर्किड होटल्स बनाम जी. जयराम रेड्डी, (2011) 10 एससीसी 608, अनिल कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2012) 12 एससीसी 443, लज्जा राम और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य, (2013) 11 एससीसी 235, वी. के. एम. कट्टा इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा राज्य और अन्य, (2013) 9 एस. सी. सी. 338 पर*** भरोसा किया गया है ।

56. ***भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और एक अन्य बनाम एम. जे. जेम्स*** (पूर्वोक्त) में 'उपमति' और 'विलंब और अतिविलंब ' के बीच के अंतर को ध्यान

में रखते हुए कहा गया है कि 'स्वीकृति का सिद्धांत' एक न्यायसंगत सिद्धांत है, यह तब लागू होता है जब एक पक्ष जिसके पास अधिकार है वह खड़ा होता है और दूसरे को उस अधिकार के साथ असंगत तरीके से व्यवहार करते हुए देखता है, जबकि कार्य प्रगति पर है और उल्लंघन पूरा होने के बाद, जो आचरण उसकी सहमति या समझौते को दर्शाता है। इसके अलावा, 'परिसीमा' के विपरीत 'अतिविलंब' लचीला है। हालांकि, परिसीमा और अवरोध दोनों ही उपचार को नष्ट कर देते हैं लेकिन अधिकार को नहीं। 'अतिविलंब, 'उपमति' की तरह 'न्यायसंगत विचारों पर आधारित है, लेकिन' उपमति 'के विपरीत 'अतिविलंब' 'से सरल निष्क्रियता भी आती है। दूसरी ओर, स्वीकृति का अर्थ सक्रिय सहमति है और यह न्यायालय बाह्य विबंध के नियम पर आधारित है। यह बाद में किसी पक्ष को अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने से रोकता है। 'छूट' तब लागू होती है जब कोई पक्ष जानबूझकर किसी विशिष्ट कारण के लिए मौजूदा कानूनी दावे, लाभ, सुविधा या विशेषाधिकार को छोड़ देता है, जबकि मामले के प्रासंगिक तथ्यों और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक होता है।

57. हमारा यह मानना है कि लापरवाही के विरुद्ध नियम व्यवहार में है, कानून में नहीं। "देरी और लापरवाही" के प्रश्न का निर्णय करने के लिए कोई कठोर नियम या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्वाग्रह, स्थिति में परिवर्तन, तीसरे पक्ष के अधिकारों या हितों के निर्माण के प्रश्न भी प्रासंगिक हैं

और राज्य एक सद्गुणी वादी होने के नाते वास्तविक दावों पर विचार करने की अपेक्षा करता है तथा अधिकार का परित्याग या स्वीकृति का अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि यह स्पष्ट या निहित न हो। याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थियों दोनों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों के बारे में कोई विवाद नहीं है, और विलंब के कारक पर संबंधित मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।

58. इस मामले में, ऐसा नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता तटस्थ रहे हैं, या वे आपत्तियां दर्ज करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं, या संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को आगे नहीं बढ़ाया है। याचिकाकर्ताओं ने आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत जारी अधिसूचना का लगातार विरोध किया और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार मामले को आगे बढ़ाया। याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की टालमटोल की रणनीति अपनाने या अपने अधिकारों को छोड़ने वाला नहीं माना जा सकता है, जैसा कि प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है, लेकिन उचित चरणों में अपनी वास्तविक चिंताओं को उठाया है। याचिकाकर्ताओं ने आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी होने पर विधिवत आपत्तियां दर्ज कीं और संबंधित अधिकारियों के साथ अभ्यावेदन/अनुस्मारक के माध्यम से मामले को उठाया और कोई अन्य विकल्प

न होने पर, याचिकाकर्ताओं ने अंततः वर्तमान रिट याचिकाएं दायर करके कानून को गति दी। याचिकाकर्ताओं को अधिग्रहण की कार्यवाही में किसी भी तरह से सहमत नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यर्थियों की ओर से उठाए गए विवाद में कोई दम नहीं है।

59. हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए अधिकारियों द्वारा भी समर्थित हैं और संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता हैः

(i) ***रॉयल ऑर्किड होटल्स बनाम जी. जयराम रेड्डी*** (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के कहने पर राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि निर्दिष्ट उद्देश्य यानी बैंगलोर हवाई अड्डे के पास गोल्फ-सह-होटल रिसॉर्ट के लिए निगम द्वारा किसी निजी व्यक्ति और कॉर्पोरेट संस्थाओं को हस्तांतरित की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक तर्क यह था कि उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता था क्योंकि रिट याचिकाओं को प्राथमिकता देने में 12 साल की अस्पष्ट देरी हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया गया विवेकाधिकार किसी भी पेटेंट कानूनी दुर्बलता से दूषित

नहीं होता है क्योंकि प्रत्यर्थी अपने अधिकारों के बारे में सो नहीं रहा था और वह दंड का दोषी नहीं था। यह भी माना गया कि लाचों के खिलाफ नियम व्यवहार का है न कि कानून का।विलम्ब/विलंब के प्रश्न को तय करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम और कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं है। प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना है।

(ii) ***अनिल कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि दो साल के अंतराल के बाद धारा 6 की घोषणा को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को विलंब/अतिविलंब द्वारा रोका नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने अधिनिर्णय पारित होने के तुरंत बाद अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी थी और अनुरोध किया कि धारा 6 (1) के तहत जारी की गई घोषणा को धारा 6 (1) के पहले परंतुक (ii) में निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन के कारण अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और इस प्रकार, रिट याचिका को समय द्वारा बाधित नहीं कहा जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही याचिका मुकदमा दायर करने के मुकदमा निर्धारित सीमा की अवधि से परे दायर की जाती है, अदालत याचिका पर विचार कर सकती है बशर्ते याचिकाकर्ता संतोषजनक स्पष्टीकरण दे या उस मामले में राहत देने से

इनकार कर सकता है जहां याचिका सीमा के भीतर दायर की गई है लेकिन विलंब का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

(iii) ***लज्जा राम और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य*** (पूर्वोक्त) लज्जा राम एवं अन्य बनाम यू.टी., चंडीगढ़ एवं अन्य (पूर्वोक्त) में, विवाद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा चंडीगढ़ के लाहौरा और सारंगपुर गांवों में स्थित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित था, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं और संबद्ध उद्देश्यों, यानी चंडीगढ़ विज्ञान पार्क और संस्थागत क्षेत्र के लिए परिसर का विकास करना था और साथ ही पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत विनियमित और नियोजित विकास भी करना था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं की तारीख से रिट अदालत का दरवाजा खटखटाने में क्रमशः लगभग तीन और दो साल की देरी हुई थी और यह कार्यवाही के लिए घातक है। दूसरा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित होने के बाद, अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर सवाल उठाने के लिए रिट कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और माना कि पारित

किये जाने के बाद लेकिन कब्ज़ा लेने से पहले दी गई अधिग्रहण चुनौती विलंब और लापरवाही द्वारा बाधित नहीं है।

(iv) ***वी. के. एम. कट्टा इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) अन्य अपीलकर्ता कंपनी एक औद्योगिक इकाई थी और व्यवसाय चलाने के लिए उसके स्वामित्व वाली भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था अन्य अर्थात् औद्योगिक संपदा के विकास के लिए। अपीलकर्ता ने अधिग्रहण को चुनौती दी जिसे उच्च न्यायालय ने देरी और अड़चनों के आधार पर खारिज कर दिया था।

अपीलकर्ता का तर्क था कि अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना उस इलाके में प्रकाशित नहीं की गई थी जहां भूमि स्थित है, जो अपीलकर्ता कंपनी को अधिनियम की खंड 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने से रोकती है और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की कि यह निर्णय की घोषणा के बाद बनाए रखने योग्य नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि विलंब या विलंब के आधार पर या इस आधार पर कि यह पारित होने के बाद दायर किया गया था।

60. प्रत्यर्थीयों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे अलग-अलग हैं और संक्षिप्त रूप में उन पर ध्यान दिया जा सकता हैः

(i) ***पेट्रोलियम लिमिटेड बनाम ज़वेर चंद पोपटलाल सुमारिया और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा किया गया इस मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार करने और उसमें की गई अधिसूचनाओं और पुरस्कार को रद्द करने के लिए विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने प्रकाशन के तुरंत बाद धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा की वैधता को चुनौती नहीं दी थी और यह पाते हुए इसके पारित होने तक प्रतीक्षा का दावा किया गया तथा मुआवजा नहीं दिया गया था। रिकॉर्ड में ऊपर , रिट याचिका को धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 ***के तहत घोषणा के बाद नहीं, बल्कि पारित होने के बाद***, जो वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति नहीं है, पेश किया गया था।

(ii) ***हरि सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में, अधिसूचना के ढाई साल बाद दायर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4,6 और 17 के तहत अधिसूचना को चुनौती देने

वाली अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, धारा 9 (1) के तहत नोटिस जारी होने तक अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं होने के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि धारा 4 (1) के तहत इलाके में नोटिस की अधिसूचना की अनुपस्थिति में का अनुरोध नहीं किया गया था और सह-कार्यकाल ने अधिसूचना पर महाभियोग नहीं चलाया था और यह अभिनिर्धारित किया कि अत्यंत विलंब के साथ-साथ गुण-दोष के प्रारंभिक आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

जाहिरा तौर पर, उपरोक्त मामला अलग है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि धारा 4 (1) के तहत इलाके में नोटिस की अधिसूचना की अनुपस्थिति में का अनुरोध नहीं किया गया था और सह-कार्यकालों ने अधिसूचना पर महाभियोग नहीं चलाया था।

(iii) ***अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में उदयपुर बनाम भेरू लाल और अन्य*** (पूर्वोक्त), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को विलंब और अतिविलंब के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 24.05.1994 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, लेकिन रिट याचिकाएं वस्तुतः दो साल बाद दायर की गई थीं। यह भी अभिनिर्धारित किया

गया कि ऐसे मामले में जहां सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, वह भी शहरी विकास अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के लिए, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वह देरी के आधार पर उस पर विचार न करे क्योंकि यह उन व्यक्तियों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना है जिनके लाभ के लिए उक्त अधिनियम के तहत आवास योजना बनाई गई है और क्षेत्र के नियोजित विकास में भी।

रिकॉर्ड के सामने प्राधिकरण अलग है क्योंकि कार्यवाही को चुनौती देने में लगभग दो साल की देरी हुई थी। इसमें रिट याचिका को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचना के बाद लगभग दो साल की अवधि के बाद चुनौती दी गई थी, जबकि वर्तमान मामले में, अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली आपत्तियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न याचिकाओं के समक्ष उठाया गया था। अधिकारियों और आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा के लगभग एक साल बाद रिट याचिकाएं दायर की हैं।

(iv) ***लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त)अन्य भूमि अधिग्रहण अधिनियमअन्य 1894 की धारा 48 और 41 से संबंधित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

अधिग्रहण से निकासी से पहले लाभार्थी (उक्त मामले में एक कंपनी) को एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए जिसके लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी और ऐसे लाभार्थी को प्रस्तावित निकासी के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। पैरा 21 में आगे यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली रिट याचिका देरी और अड़चनों के आधार पर खारिज की जा सकती है यदि चुनौती उचित समय के भीतर नहीं दी जाती है और याचिकाकर्ता बाड़ पर नहीं बैठ सकता है और राज्य को इस आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करने की अनुमति नहीं दे सकता है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा वैध थी, और फिर उन आधारों पर हमला करने के लिए जो अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने के समय उनके पास उपलब्ध थे।

यह देखा जा सकता है कि उसमें निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है।

(v) ***राजस्थान राज्य और अन्य बनाम डी. आर. लक्ष्मी और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब रिट याचिकाएं दायर करने में अत्यधिक देरी होती है और जब अधिग्रहण की कार्यवाही में सभी कदम अंतिम हो जाते हैं, तो न्यायालय को

अधिसूचना को रद्द करने से घृणा होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि यदि पक्षकार उचित समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा नहीं खोलता है, तो हमेशा तथ्य का प्रश्न और यदि आदेश अमान्य हो जाता है या अधिकारों को स्वीकार या माफ कर देता है, तो न्यायालय के विवेकाधिकार का उचित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उसमें अधिग्रहण अंतिम हो गया था और मुआवजे को बढ़ाने के लिए कब्जा करने के साथ-साथ संदर्भ की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) और घोषणा के तहत अधिसूचना में हस्तक्षेप करने और उसे रद्द करने में अन्याय किया। उपरोक्त मामले में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि पुरस्कार की कार्यवाही के अंतिम होने के कारण देरी और अड़चनें स्पष्ट हैं।

(vi) ***महंत नारायण देशजीवरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (पूर्वोक्त) में, रिट याचिका को यह घोषणा करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी कि 1923 का मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1925 का मद्रास अधिनियम I, 1927 का मद्रास अधिनियम II, 1933 का मद्रास अधिनियम XIX, 1951 का मद्रास अधिनियम XIX और 1954 का आंध्र अधिनियम VII, जहां तक वे संविधान के साथ असंगत हैं,

अधिकार अधिकारातीत और निष्क्रिय हैं। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 26 जनवरी, 1950 को संविधान के प्रचलन में आने के पांच साल और नौ महीने की अवधि के बाद याचिका दायर की गई है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि रिट, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उन व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाएगा, जो लापरवाही और अत्यधिक देरी के दोषी हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करता है और उसे स्वीकार करता है, तो उसके लिए उस अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यह देखा जा सकता है कि तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि उक्त मामले में पांच साल और नौ महीने की अवधि के बाद याचिका दायर की गई थी।

(vii) ***इंद्रपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य,*** (1975) 4 एससीसी 296 में, अपीलकर्ताओं ने 9 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने देरी के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 6 के

तहत घोषणा को चुनौती देने के लिए उचित समय के भीतर ही आवेदन किया जाना चाहिए और अधिसूचना और घोषणा के आधार पर अंतराल के दौरान किए गए कार्यों की प्रकृति के कारण देरी की अवधि एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है।।

उपरोक्त मामला स्पष्ट तौर पर अलग है क्योंकि अधिनियम 4 के तहत अधिसूचना 9 जून, 1960 को प्रकाशित की गई थी, 9 जनवरी, 1964 को लागू कर दिया गया था और रिट याचिकाओं को नौ साल की अवधि के बाद 23 जनवरी, 1970 को ही प्राथमिकता दी गई थी।

(viii) ***आर्से पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अल्फीन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में, उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आंध्र बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "सरफेसी अधिनियम") और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया था। इस मामले में तथ्यात्मक आधार यह था कि बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए नोटिस जारी किया था। उधारकर्ता ने न तो कोई भुगतान किया और न ही कोई जवाब दिया, बल्कि पत्र लिखकर चूक और भुगतान न करने की बात

स्वीकार की और भुगतान अनुसूची का पालन न करने के कारणों को सूचीबद्ध किया। इसके बाद, बैंक द्वारा संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस जारी किए गए। उधारकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत शुरू की गई कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधित्यजन और विबंध के सिद्धांत को लागू करते हुए, विवादित निर्णय के खिलाफ अपील की अनुमति दी। इसके बाद, बैंक द्वारा संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस जारी किए गए। उधारकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत शुरू की गई कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधित्यजन और विबंध के सिद्धांत को लागू करते हुए, आक्षेपित फैसले के खिलाफ अपीलों को अनुमति दी। यह देखा गया कि अधित्यजन एक ज्ञात अधिकार का जानबूझकर त्याग है। अधित्यजन तब लागू होती है जब कोई पक्ष भौतिक तथ्यों को जानता है और उस मामले में कानूनी अधिकारों के बारे में जानता है, और फिर भी किसी विचार के लिए जानबूझकर मौजूदा कानूनी अधिकार, लाभ, दावा या विशेषाधिकार को छोड़ देता है। अधित्यजन संविदात्मक या किसी समझौते के विचार में व्यक्त आचरण द्वारा हो सकती है। अधित्यजन संविदात्मक या किसी समझौते के विचार में स्पष्ट तौर पर आचरण द्वारा हो सकती है। हालाँकि, एक सांविदिक अधिकार, जैसे कि एक

अनुकूल निर्णय का मौका लेते हुए निहित आचरण द्वारा अधित्याग किया जा सकता है।

यह तथ्य कि दूसरे पक्ष ने इस पर कार्यवाही की है, पर्याप्त विचार भी किया गया है। चूंकि स्पष्ट आचरण द्वारा उधारकर्ता ने बैंक को अपनी स्थिति से समझौता करने और संविदात्मक शर्तों में बदलाव करने के लिए कहा था, इसलिए, साक्ष्य के नियम के रूप में न्यायसंगत रोक का सिद्धांत, उधारकर्ता को उल्लंघन की शिकायत करने से रोकता है।

यह देखा जा सकता है कि सरफेसी अधिनियम से संबंधित उपरोक्त मामले में उल्लेखित छूट और रोक का सिद्धांत विवादित नहीं है। इसके अलावा, 'अधिकारों की छूट' उधारकर्ता के आचरण द्वारा व्यक्त की गई थी।

(ix) ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में यह देखा गया कि उच्च न्यायालय के लिए कर की वापसी के लिए कोई भी आदेश दिए जाने से पहले देरी के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक था और वापसी के लिए जारी किए गए निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। यह भी देखा गया कि परिसीमन अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत राहत देने पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, विधायिका द्वारा उस समय के मुकदमा द्वारा

निर्धारित अधिकतम अवधि जिसके अंतर्गत सिविल न्यायालय में मुकदमे द्वारा राहत मिलनी चाहिए, चाहे तो साधारण मुकदमा से एक उचित मानक के मुकदमा में लिया जा सकता हो जिसके द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत उपचार मांगने में देरी को मापन किया जा सके । न्यायालय देरी को अनुचित मान सकती है, भले ही वह उपचार के लिए दीवानी कार्यवाही के लिए निर्धारित सीमा की अवधि से कम हो, लेकिन जहां देरी इस अवधि से अधिक है, अदालत के लिए इसे अनुचित मानना ही उचित है।

(x) ***अफ़लातून और अन्य बनाम में दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य*** (पूर्वोक्त), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब और अतिविलंब के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 1959 में जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने के लिए इस अदालत में आने के लिए 1972 तक इंतजार करने का कोई कारण नहीं था। यह भी देखा गया कि धारा 4 के तहत एक वैध अधिसूचना संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा, बाड़ पर बैठना और सरकार को इस आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करने की अनुमति देना कि धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा वैध थी, और फिर उन आधारों पर अधिसूचना पर हमला करना जो उनके पास उपलब्ध थे।

जिस समय अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, उस समय विलंबकारी रणनीति पर अधिक जोर दिया जाएगा। यह देखा जा सकता है कि उक्त मामले को अलग किया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त मामले में चुनौती अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने के बाद दी गई थी।

(xi) ***महाराष्ट्र राज्य बनाम दिगंबर*** (पूर्वोक्त) में, प्रत्यर्थी ने एक कृषक होने के नाते अपनी भूमि के लिए मुआवजे के अनुदान के लिए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार द्वारा 1971-1972 में कमी राहत कार्यों के निष्पादन के दौरान उनकी सहमति के बिना उपयोग किया गया था। उच्च न्यायालय ने 20 साल की देरी को माफ करते हुए रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के खिलाफ राहत की मांग करने वाले व्यक्ति, चाहे वे नागरिक हों या अन्यथा, इसके तहत प्राप्त विवेकाधीन राहत तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि वे उच्च न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करते कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर स्पष्ट रूप से इस तरह की विवेकाधीन राहत देने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में उनकी ओर से किए गए विलंब या अतिविलंब को उचित ठहराया हो। इसलिए, जहां कोई उच्च न्यायालय किसी नागरिक या किसी अन्य

व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके दोषपूर्ण आचरण, जैसे कि लापरवाही या अनुचित देरी, स्वीकृति या छूट पर विचार किए बिना राहत देता है, तो इस तरह से दी गई राहत अस्थिर हो जाती है, भले ही राहत राज्य द्वारा उसके कानूनी अधिकार के कथित वंचित होने के संबंध में दी गई हो। उपरोक्त मामले में निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह ध्यान देना उचित है कि उक्त मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में लगभग 20 साल की देरी हुई थी।

(xii) ***बांदा विकास प्राधिकरण बनाम मोती लाल अग्रवाल और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में न्यायालय ने माना कि यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित आत्म-संयम के कई नियमों में से एक यह है कि उच्च न्यायालय लंबे समय के बाद दायर याचिकाओं पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि इससे पक्षकारों के स्थापित/सुस्थापित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि रिट याचिका समान कारण के लिए सिविल मुकदमा दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय देरी को अनुचित मानेगा और याचिकाकर्ता की शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से इंकार कर देगा। ।

उक्त मामले में, यह भी कहा गया कि कुछ वर्षों की देरी भी घातक होगी, यदि अधिग्रहित भूमि का आंशिक या पूरी तरह से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी घोषणा के प्रकाशन की तिथि से नौ वर्ष की देरी और पारित होने की तिथि से लगभग छह वर्ष की देरी प्रत्यर्थी संख्या 1 को न्यायोचित राहत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त मानी गई। आगे यह भी माना गया कि जहां डीडीए या राज्य सरकार द्वारा विलंब/अतिविलंब की आपत्ति नहीं उठाई गई थी, उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह इसका संज्ञान ले और राहत देने से मना कर दे क्योंकि अधिग्रहित भूमि का उपयोग आवासीय योजना को लागू करने के लिए किया गया था और तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए थे। यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामले में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सकता है क्योंकि देरी लगभग नौ साल बाद हुई थी अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा और पारित होने की तारीख से लगभग छह साल के बाद ।

(xiii) ***भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और अन्य बनाम एम. जे. जेम्स*** (पूर्वोक्त) मामले में, यह देखा गया कि अपील दायर करने के लिए सेवा संहिता के खंड 22 (x) में सीमा की अवधि की अनुपस्थिति में का मतलब किसी भी समय नहीं है, और यह धारणा है कि अपील जल्द से

जल्द संभव अवसर पर दायर की जानी चाहिए, हालांकि उचित समय को स्ट्रैटजैकेट सूत्र में नहीं रखा जा सकता है या न्यायिक रूप से दिनों के रूप में संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और लंबे समय तक प्रयोग न किए जाने वाले ऐसे अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। विलंब और अतिविलंब के साथ-साथ मौन स्वीकृति का सिद्धांत उन गैर-मुकदमा वादियों पर लागू होता है जो बिना किसी उचित कारण के देरी से न्यायालय/अपीलीय अधिकारियों से संपर्क करते हैं।

यह देखा जा सकता है कि उक्त मामले में प्रत्यर्थी की जानबूझकर की गई चुप्पी, जिसने नौ वर्षों तक कोई पत्राचार या कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया, एक गुप्त उद्देश्य से थी क्योंकि वह इस चूक का लाभ उठाना चाहता था, हालांकि उसे बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा था।

(xiv) ***वी. चंद्रशेखरन और एक अन्य बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य*** (पूर्वोक्त) में निर्दिष्ट कानून के प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है, जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया है, जिसमें यह दोहराया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए समता न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, तो यह उम्मीद की जाती है कि वह न केवल स्वच्छ हाथों से, बल्कि स्वच्छ मस्तिष्क,

स्वच्छ दिल और स्वच्छ उद्देश्यों के साथ भी उक्त न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। अत: वे जो समता की तलाश करते हैं उन्हें समता रखनी चाहिए ।

इस प्रकार, इसके अलावा जो सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जो स्वच्छ हाथों से अदालत में नहीं आता है, वह अपनी शिकायत के गुण के आधार पर सुनवाई का हकदार नहीं है, और किसी भी मामले में ऐसा व्यक्ति किसी भी राहत का हकदार नहीं है जैसा कि ***रामजस फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** (पूर्वोक्त) में जोर दिया गया है, विवादित नहीं है।।

ख. *क्या आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 के समाप्त होने के बाद अप्रभावी और निष्क्रिय है।*

61. अधिग्रहण कार्यवाही के लिए याचिकाकर्ताओं की चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर है कि 28 अगस्त, 2015 को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 की धारा 10 क (1) (ड.) को लागू करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना 31 अगस्त, 2015 को अध्यादेश की समाप्ति को देखते हुए अप्रभावी और निष्क्रिय है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर.

अधिनियम, 2013 के अध्याय-II और अध्याय-III के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य थे क्योंकि अध्यादेश के समाप्त होने पर कोई स्थायी अधिकार नहीं बचते हैं। दलीलों के समर्थन में, ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) के साथ-साथ ***आलोक अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** (पूर्वोक्त) पर निर्भरता रखी गई है।

62. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों का रुख यह है कि चूंकि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अध्यादेश की धारा 10क (1) (ड.)को लागू करने वाली प्रारंभिक अधिसूचना अपरिवर्तनीयता, अव्यावहारिकता और सार्वजनिक हित के तीन गुना परीक्षण को संतुष्ट करती है, जैसा कि ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) में प्रस्तावित किया गया है, इसलिए आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय-2 और अध्याय-3 की आवश्यकताओं के साथ व्यवस्था वैध है।

नतीजतन, अधिग्रहण के लिए आगे उठाए गए कदम उच्च आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा सहित कानून के अनुसार हैं। आगे ***दतला वेंकट अप्पाला प्रसादराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा रखा गया है।

63. विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या 31 अगस्त, 2015 को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 के समाप्त होने

पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अध्यादेश की धारा 10क (1) (ड.) को लागू करने वाली धारा 11 के तहत अधिसूचना ने प्रत्यर्थियों के पक्ष में कोई स्थायी अधिकार नहीं बनाए। नतीजतन, यदि अध्यादेश के समाप्त होने के बाद प्रत्यर्थी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में 2013 अधिनियम के अध्याय-II और III के प्रावधानों का पालन करने के बाद आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत एक नई अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य थे।

64. ***पंजाब नेशनल बैंक बनाम भारत संघ और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए अन्य याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क आगे उठाया गया है कि जहां लंबित कार्यवाही के पक्ष में व्यावृति खंड के बिना एक प्रावधान को हटा दिया जाता है अन्य तो उसी उद्देश्य के लिए नई कार्यवाही शुरू की जा सकती है और लंबित कार्यवाही जारी नहीं रहेगी। ***कोहलापुर केनेसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2000) 2 एस. सी. सी. 536*** उच्चतम के न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है। जिसे उपरोक्त मामले में निर्दिष्ट किया गया था।

यह ध्यान देने योग्य है कि ***पंजाब नेशनल बैंक बनाम भारत संघ एवं अन्य*** (पूर्वोक्त) में यह माना गया था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के तत्कालीन नियम 173-क्यू (2) के तहत शुरू की गई कार्यवाही उक्त नियम के निरस्त होने पर समाप्त हो जाएगी। प्रत्यर्थी का यह तर्क कि केंद्रीय उत्पाद

शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38क (ग) और 38 क(ड.) तथा सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के कारण कार्यवाही बच जाएगी, स्वीकार नहीं किया गया। उपर्युक्त संदर्भ में, यह भी देखा गया कि ***कोहलापुर कैनशुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ*** (पुर्वोक्त) में संविधान पीठ ने माना था कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 वहां लागू होती है, जहां सामान्य खंड अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन किसी अधिनियम को "निरस्त" करता है, लेकिन नियम के लोप के मामले में लागू नहीं होती है।

65. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों की रक्षा करती है और कानून द्वारा से होने वाले अधिनियम के निरसन के मामले में देनदारियों को जारी रखती है। हालाँकि, अध्यादेश की समाप्ति के मामले में परिणामों को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

रिकॉर्ड के समक्ष, वर्तमान मामला अध्यादेश के समाप्त होने से उत्पन्न होने वाले परिणामों से संबंधित है या जहां यह 'काम करना बंद कर देता है'। ***पंजाब नेशनल बैंक बनाम भारत संघ और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर निर्भरता याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत मददगार नहीं है, क्योंकि यह नियम को हटाने से संबंधित है।

66. ***कृष्ण कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त) मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या बिहार गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण करना) अध्यादेश, 1989 के लगातार सात बार जारी किए गए पुन:प्रख्यापन अवैधानिक या संवैधानिक रूप से अनुचित है। माननीय न्या. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित निर्णय, जो बहुमत का विचार है, ने निष्कर्ष निकाला कि 1989 में जारी किए गए पहले अध्यादेश की क्रमिक पुनः घोषणा संविधान के साथ धोखाधड़ी थी, विशेष रूप से जब कोई भी अध्यादेश कभी भी बिहार विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत आवश्यक था। माननीय न्या. डी. वाई. चंद्रचूड़ और साथ ही माननीय न्या.मदन बी. लोकुर दोनों द्वारा व्यक्त किए गए विचार कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 123 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी अध्यादेश उच्च को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे अध्यादेशों से प्रभावित लोगों के पक्ष में स्थायी या अपरिवर्तनीय अधिकारों के सृजन, जहां अध्यादेश स्वयं संविधान के साथ धोखाधड़ी था, पर फिर भी भारत के मुख्य न्यायधीश, माननीय न्यायाधीशमूर्ति टी. एस. ठाकुर ने सहमति व्यक्त की थी। ***उड़ीसा राज्य बनाम भूपेंद्र कुमार बोस, 1962 में संविधान पीठ के निर्णय 2 एस. सी. आर. 380, टी. वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1985) 3 एस.***

सी. सी. 198 को इस हद तक विस्तारित किया गया कि 'स्थायी अधिकारों के निर्माण' के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि जबकि माननीय न्यायधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ का विचार था कि संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष चाहे जैसा भी मामला हो अध्यादेशों को नहीं रखने से, संविधान के साथ धोखाधड़ी होगी। तथापि, माननीय न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 212 (2) के तहत अनिवार्य नहीं है और न ही ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप अध्यादेश का बल और प्रभाव एक अधिनियमित कानून के रूप में नहीं होगा या इसका कोई परिणाम नहीं होगा।

67. एक अध्यादेश के तहत संपन्न कार्यों और लेन-देन के परिणाम या अस्तित्व के प्रभाव के मुद्दे पर, पैरा 147 और 148 में माननीय न्यायधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, की टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता हैः

> ***"147.*** *जब कोई अध्यादेश लागू होना बंद हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस दिन से यह लागू होना बंद हो जाएगा, उस दिन पाइपलाइन में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हो जाएँगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अध्यादेश लागू होना बंद हो जाता है, तो यह राज्य के राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अधिनियम के समान बल और प्रभाव भी नहीं रखता है और इसलिए पाइपलाइन की कार्रवाइयाँ बिना किसी कानूनी आधार के जारी नहीं रह सकती हैं। स्वाभाविक रूप से, अध्यादेश के आधार पर शुरू की जाने वाली सभी कार्रवाइयाँ अध्यादेश के लागू होने के बाद शुरू नहीं हो सकती हैं।*

148. *क्या अध्यादेश के बंद होने से पहले किए गए कार्य या लेन-देन की अंतिम तिथि के बाद भी जारी रहते हैं?*

68. ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त)*** में निकाले गए निष्कर्षों में यह माना गया है कि अनुच्छेद 123 और 213 में "कार्य संचालन बंद करना" इसका अर्थ यह नहीं है कि विधानमंडल के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या अनुच्छेद 213 के तहत अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित होने पर अध्यादेश आरंभ से ही शून्य हो जाता है। **यह प्रश्न कि क्या अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य और दायित्व उस अध्यादेश के अस्तित्व में रहेंगे जो कार्य करना बंद कर चुका है, निर्माण के मामले के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। लागू किया जाने वाला उपरोक्त परीक्षण सार्वजनिक हित और संवैधानिक आवश्यकता का परीक्षण है।** इसमें यह मुद्दा भी शामिल होगा कि क्या अध्यादेश के तहत जो परिणाम हुए हैं, वे अपरिवर्तनीय चरित्र धारण कर चुके हैं। इसके अलावा, उपयुक्त मामलों में न्यायालय राहत को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा। पैरा 105.9 से 105.12 में दिए गए निष्कर्षों को संदर्भ के लिए लाभकारी रूप से उद्धृत किया जा सकता है:

"105.9.

अनुच्छेद 233 (2) (क) में प्रावधान है कि उस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश विधायिका के पुनर्सभा के छह सप्ताह

बाद या उससे पहले भी "कार्य संचालन", अगर इसे अस्वीकार करने वाला कोई प्रस्ताव विधानमंडल में पारित किया जाता है ।संविधान ने विभिन्न अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है जैसे "निरसन" (अनुच्छेद 252, 254, 357, 372 और 395); "शून्य" (अनुच्छेद 13,245,255 और 276); "प्रभाव की समाप्ति" (अनुच्छेद 358 और 372); और "कार्य संचालन की समाप्ति " (अनुच्छेद 123, 213 और 352)। इन अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक का एक अलग अर्थ है। ***अनुच्छेद 123 और 233 दोनों में "कार्य संचालन की समाप्ति" शब्द का अर्थ यह नहीं है कि विधानमंडल के फिर से इकट्ठा होने के छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित होने पर, अध्यादेश को आरम्भ में ही अमान्य कर दिया जाता है।*** *दोनों अनुच्छेद 123 और 233 में एक अलग प्रावधान है जो उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें एक अध्यादेश अमान्य होगा। एक अध्यादेश ऐसी स्थिति में अमान्य है जहां वह एक ऐसा प्रावधान करता है जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं होगी [अनुच्छेद 123 (3)] या जो एक ऐसा प्रावधान करता है जो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम में अधिनियमित होने पर वैध नहीं होगा [अनुच्छेद 212 (3)]। संविधान निर्माताओं ने एक ही प्रावधान में "कार्य संचालन की समाप्ति" और "शून्य करना" जैसे पदों का अलग-अलग प्रयोग किया है, इसलिए वे समान अर्थ नहीं व्यक्त कर सकते।*

105.10

स्थायी अधिकारों का सिद्धांत जो भूपेंद्र कुमार बोस के फैसले में निर्धारित किया गया है और संविधान पीठ द्वारा टी वेंकट रेड्डी में इसका पालन किया गया है, एक अस्थायी अधिनियम के सादृश्यता पर आधारित है। अध्यादेश और अस्थायी अधिनियम के बीच एक बुनियादी अंतर है। संविधान पीठ के ये निर्णय, जिन्होंने स्थायी अधिकारों की धारणा को स्वीकार कर लिया है, जो एक अध्यादेश से बचे रहेंगे, जिसका संचालन समाप्त हो गया है, ये सही स्थिति निर्धारित नहीं करते हैं। एस. आर. बोम्मई के निर्णय के मद्देनजर अब निर्णय भी अब अच्छे कानून नहीं हैं।

105.11

अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 214 में उन अधिकारों, विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को बचाने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है जो उन अध्यादेश के तहत उत्पन्न हुए हैं जो अब प्रभावी नहीं रह गये हैं। हालाँकि ऐसे प्रावधान संविधान के अन्य अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 249 (3), 250 (2), 357 (2), 358 और 359 (1क) में विशेष रूप से निहित हैं। हालाँकि, यह निर्णायक नहीं है और मुद्दा अनिवार्य रूप से निर्माण का है; विधायी सर्वोच्चता और कानून के शासन को निर्धारित करते हुए 'बल और प्रभाव' खंड को विषयवस्तु देने से संबंधित है।

105.12

यह प्रश्न कि क्या अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य और दायित्व एक अध्यादेश के अंतर्गत रहेंगे, जो अब प्रयोग में नहीं है, निर्माण के मामले के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। लागू की जाने वाली उपयुक्त परीक्षा जनहित और संवैधानिक

आवश्यकता की परीक्षा है। इसमें यह मुद्दा शामिल होगा कि क्या अध्यादेश के तहत हुए परिणाम अपरिवर्तनीय हो गए हैं। एक उपयुक्त मामले में, यह अदालत के लिए राहत को ढालने के लिए खुला होगा।

69. यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अध्यादेशों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। जाहिर है, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2014 की घोषणा के बाद 24 फरवरी, 2015 को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) विधेयक पेश करने के लिए कदम उठाए गए थे। चूंकि उक्त विधेयक को राज्य परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका, इसलिए आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी किया गया। आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को 11 मई, 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसने इसे सदन की संयुक्त समिति को भेज दिया था। आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के प्रावधानों के प्रभाव से, भारत के राष्ट्रपति ने आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 जारी किया, जो 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो गया। विधायी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्यपालिका द्वारा की गई कवायद रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, हालांकि अध्यादेश को अंततः समाप्त होने की अनुमति दी गई थी।

70. यह आदेश करने के लिए कि अध्यादेश की धारा 10क (1) (ड.) के साथ पठित धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद क्या कर्तव्य, अधिकार और दायित्व बनी रहती हैं, 'जनहित' और 'संवैधानिक आवश्यकता' का परीक्षण लागू किया जा सकता है। 'सार्वजनिक हित' शब्द को किसी निश्चित सूत्र में नहीं रखा जा सकता है, तथा इसमें व्यापक रूप से वह उद्देश्य शामिल होता है, जिसमें समाज के सामान्य हित की पूर्ति होती है, न कि व्यक्ति के विशेष हित की, जिससे वह महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हो। अधिग्रहण की आवश्यकता को किसी भी तरह से विवादित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एनजीटी के निर्देश के अनुसार डब्ल्यू डब्ल्यू टी पी की स्थापना के लिए वर्तमान मामले में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सार्वजनिक हित निजी हित पर सर्वोपरि होना चाहिए और व्यक्तियों के अधिकारों को केवल तभी कम किया जाना चाहिए जब इस तरह के कठोर उपाय की मांग करने वाली आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हों। ***इस संबंध में 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (पूर्वोक्त), अब्राहम पटानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1143, एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज सहकारी आवासीय समिति लिमिटेड बनाम सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज, कर्नाटक सरकार, (1996) 11 एससीसी 475 पर भी भरोसा किया जा सकता है, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा संदर्भित किया गया है।***

71. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम की धारा 11 के तहत इसी तरह की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। एन. जी. टी. के निर्देशों के अनुसार विभिन्न गाँवों में एस. टी. पी. परियोजनाओं के लिए 2013 और वही कार्यान्वयन के अधीन हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत पहले मई में शुरू की गई थी, उच्चतम न्यायालय 2015 और संबंधित विभागों द्वारा मुद्दों को हल आदेश और अध्यादेशों की बारीकियों को समझने में कुछ समय लगा। आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 की धारा 10क (1) (ड.) को अंततः लागू किया गया क्योंकि डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी. की स्थापना के लिए परियोजना को तत्काल चालू करने की आवश्यकता थी और विधिवत रूप से सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की श्रेणी में आती थी जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है। आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 की धारा 10क के तहत छूट को लोक हित में लागू किया गया था ताकि बुनियादी ढांचा परियोजना के निष्पादन में देरी पर अंकुश लगाया जा सके जो आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय II के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के प्रावधानों के पालन के कारण हुआ होगा। धारा 11 के तहत अधिसूचना का पालन अधिनियम की धारा 15 के तहत आपत्तियों पर विचार करने और आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर.

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा की सामान्य प्रक्रिया के साथ किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां दायर करके अधिग्रहण की कार्यवाही में विधिवत भाग लिया, जिन पर कानून के अनुसार विचार किया गया और खारिज कर दिया गया।

72. तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि 28 अगस्त, 2015 को अधिसूचित आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना के परिणामस्वरूप अधिग्रहण के उद्देश्य से अपरिवर्तनीय चरित्र के अधिकार निहित किए गए और आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में विशेष रूप से कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से सृजित स्थायी अधिकारों को केवल 31 अगस्त, 2015 को अध्यादेश के प्रभावी हो जाने के कारण प्रतिवर्ती नहीं माना जा सकता। धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करने और अध्यादेश की धारा 10क(1)(ड.) को लागू करने के बाद प्रत्यर्थीयों को आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 की धारा 3 से 10 के तहत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पाइपलाइन में कुछ भी नहीं बचा था और अध्याय II और अध्याय III के प्रावधानों का फिर से सहारा लेना अव्यावहारिक और सार्वजनिक हित के

विपरीत होगा, क्योंकि इससे परियोजना के निष्पादन और कार्यान्वयन में देरी होगी।। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना ने अंततः प्राप्त कर ली है और इसके तहत बनाए गए अधिकार 31 अगस्त, 2015 को अध्यादेश की समाप्ति पर समाप्त नहीं होंगे।

73. कानून में उपरोक्त प्रस्ताव भी ***दातला वेंकट अप्पला प्रसादराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (पूर्वोक्त) द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है जो प्रत्यर्थी की ओर से निर्भर था। 2015 के अध्यादेश संख्या 5 के तहत की गई अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाला एक समान मुद्दा उसमें उठाया गया था। विशाखापत्तनम शहर के पास विजयनगरम जिले के भोगपुरम में एक हवाई अड्डे की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, क्योंकि विशाखापत्तनम में मौजूदा हवाई अड्डा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक रक्षा हवाई अड्डा है और परिचालन संबंधी बाधाएं थीं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके विस्तार की गुंजाइश की कमी थी। प्रारंभिक प्रस्ताव लगभग 5311.88 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए था, जिसे बाद में केवल हवाई अड्डे और हवाई अड्डे से संबंधित गतिविधियों के विकास के चरण 1 के लिए 2004.54 एकड़ तक कम कर दिया गया था, इसके अलावा संपर्क सड़कों के लिए 119 एकड़। अधिकांश भूमि मालिकों ने उक्त अधिग्रहण के लिए सहमति दी थी और मुआवजे को स्वीकार किया था। केवल

37 एकड़ भूमि के संबंध में आगे की मुकदमेबाजी लंबित रही। **जिलाधिकारी ने आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 और रि.या. के अध्याय II और III को छूट देते हुए दिनांक 31.08.2015 आर.सी.स.30/20212जी 3 जारी किया। (ग) 11104/2018 और 320/2018 इसे जिला राजपत्र में** प्रकाशित किया गया और उसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी की गई, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि चूंकि अध्यादेश समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त अध्यादेश के तहत की गई पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई है। राज्य की ओर से यह दलील कि 1937 मालिकों की 2064 एकड़ भूमि के लिए सहमति से पारित किए गए थे, जिसके लिए 678 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, याचिकाकर्ताओं ने इसे इस आधार पर निराधार बताया कि भूमि धारकों और राज्य के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति है। साथ ही, भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से भूमि की पहचान और पृथक्करण के मुद्दे पर भी मुद्दे उठाए गए। 2018 के आंध्रप्रदेश राज्य अधिनियम संख्या 22 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से इस आधार पर चुनौती दी गई कि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना अध्यादेश की समाप्ति के साथ समाप्त नहीं हुई क्योंकि ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित

जनहित और संवैधानिक आवश्यकता के सर्वोपरि परीक्षण ने अपरिवर्तनीयता और अव्यवहारिकता की आवश्यकता को समाहित कर लिया गया । यह भी बताया गया कि भूमि मालिकों को 678 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और सरकार के पास 2200 एकड़ के मुकाबले 2064 एकड़ जमीन थी। इसके अलावा, प्रभावित 1959 भूमि मालिकों में से 1937 भूमि मालिकों ने सहमति पुरस्कारों के लिए सहमति व्यक्त की थी जो तब से पारित हो चुके हैं। यह भी तर्क दिया गया कि अध्यादेश की धारा 10क का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि राज्य ने भूमि का न्यूनतम अधिग्रहण सुनिश्चित किया था क्योंकि 5311 एकड़ के प्रस्तावित अधिग्रहण को 2700 एकड़ तक घटा दिया गया था। 5311 एकड़ के प्रस्तावित अधिग्रहण को 2700 एकड़ में अलग कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के तहत आक्षेपित अधिसूचनाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वे 2014 के अध्यादेश संख्या 9,2015 के अध्यादेश संख्या 4 और 2015 के अध्यादेश संख्या 5 को बिना किसी व्यावृति खंड के समाप्त होने की अनुमति दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (पूर्वोक्त) में निर्दिष्ट अपरिवर्तनीयता, अव्यावहारिकता और सार्वजनिक हित के तीन गुना परीक्षण को लागू किया और कहा कि राज्य को भूमि अधिग्रहण

अधिनियम, 2013 की धारा 3 से 10 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता सार्वजनिक हित के विपरीत होगी क्योंकि इससे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होगी जब हवाई अड्डे के विकास के लिए 37 एकड़ को छोड़कर लगभग पूरी भूमि उपलब्ध होगी। इस प्रकार, न्यायालय का विचार था कि 2015 के अंतिम अध्यादेश संख्या 5 के समाप्त होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के तहत अधिसूचना जारी करके किए गए कार्य या की गई कार्यवाही समाप्त नहीं होगी और यह विवादित अधिग्रहण के लिए अच्छा है।

यह भी देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है ***क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (आईडी1) को खारिज कर दिया गया है,*** यह देखते हुए कि हवाई अड्डे का निर्माण और विकास जनहित के लिए है और केवल भूमि के छोटे हिस्से के कारण, पूरी परियोजना को रोका नहीं जा सकता है। यह आगे कहा गया कि *"अन्यथा भी, इस विशेष अनुमति याचिका में उठाए जा रहे प्रश्नों का उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जो हमारी सुविचारित राय में अच्छी तरह से विचार किया गया है और इसके अनुसार हैः कानून और विवादित आदेश और व्यवस्था में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।*

74. जहां तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए ***आलोक अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** (पूर्वोक्त) का संबंध है, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अध्यादेश, 2014 की धारा 10 क के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 02 मार्च, 2015 की अधिसूचना के साथ जारी की गई थी, जिसमें 2013 के अधिनियम के अध्याय II और III के आवेदन से अध्यादेश में उल्लिखित सभी परियोजनाओं को छूट दी गई थी। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि 2013 के अधिनियम की धारा 38 के तहत न तो अधिनिर्णय पारित किया गया था और न ही भूमि का कब्जा लिया गया था, इसलिए स्थिति को अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है और राज्य सरकार द्वारा 02 मार्च, 2015 को जारी अधिसूचना भी समाप्त हो जाएगी। इसका प्रभाव यह है कि 2013 के अधिनियम के अध्याय II और III के प्रावधानों का भूमि अधिग्रहण के लिए अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है।

75. हमारी राय में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय को बारीकी से देखने पर स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 2014 के अध्यादेश की धारा 10 क के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा 02 मार्च, 2015 की **अधिसूचना के माध्यम से सभी परियोजनाओं** (व्यक्तिगत परियोजनाओं को

प्रतिबिंबित किए बिना खंड 10ए में उल्लिखित) को जनहित में शक्ति के प्रयोग की शर्तों को पूरा करने वाले अधिनियम के अध्याय 2 और 3 के प्रावधानों से छूट देना कानून में गलत है। यह भी देखा गया कि अध्यादेश की धारा 10क के तहत 02 मार्च, 2015 को जारी अधिसूचना, जिसमें 2013 के अधिनियम के अध्याय 2 और 3 के प्रावधानों से सभी परियोजनाओं को छूट दी गई है, कुछ और नहीं बल्कि एक रंगीन अधिसूचना है। निजी कंपनियों को पानी की आपूर्ति के लिए अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग।

हालाँकि, वर्तमान मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, एन. जी. टी. के निर्देशों को देखते हुए डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी. की स्थापना के लिए सार्वजनिक हित की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। उपयुक्त सरकार की यह घोषणा कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है, निर्णायक है और इसे चुनौती देने के लिए खुला नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में समर्थ नहीं हैं कि प्रस्तावित अधिग्रहण किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया गया है। परियोजना के निष्पादन में कोई भी देरी जनता के हित के लिए हानिकारक होती और डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी. की परस्पर संपर्क में भी देरी होती, जिसके लिए विभिन्न गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था और इसी तरह की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान मामले में धारा 11 के तहत अधिसूचना के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विधिवत विचार करने के बाद

2013 के अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा जारी करने सहित बाद की परिणामी कार्यवाही की गई है। पूरी परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था जिसमें अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भूमि की लागत 6,69,12,500/- रुपये का चेक जमा करना शामिल था। 2013 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद अध्यादेश की धारा 10क (1) (ड.) को लागू करते हुए कुछ भी जारी नहीं किया गया। तथ्यों और परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि एक बार अध्यादेश का संचालन बंद हो जाने के बाद अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य और दायित्व ना जीवित नहीं रहती हैं और न ही बनी रहती हैं।

76. इसे आगे ***वल्लूरी जयराम और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (पूर्वोक्त), ***करीं प्रताप रायला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (***पूर्वोक्त) और ***कनुपार्थी वेंकट सिंहाद्री बनाम तेलंगाना राज्य के रूप में देखा जा सकता है।*** (पूर्वोक्त) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया जाना बहुत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उक्त मामलों में कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा किया जाना बाकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान रोक दी गई थी।

ग. <u>आत्ययिकता, भेदभाव और दुर्भावना के आधार पर अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देना</u>।

77. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना अध्यादेश की धारा 10क के तहत प्रदत्त शक्तियों के लागू करने की आवश्यकता, आत्ययिकता और किसी भी आधार या आधार के बिना जारी की गई है, जिसने आर. एफ. सी. टी. एल. ए. ए. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय II (सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य का निर्धारण) और अध्याय III (सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान) में निहित अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, ***देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा रखते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपयुक्त सरकार को अदालत के निर्देशों/आदेशों को लागू करने की आड़ में उल्लंघन करने, कानूनी प्रावधानों और प्रक्रिया को व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों/आदेशों का कानूनी ढांचे और वैधानिक प्रावधानों के चार कोनों के भीतर पालन किया जाना चाहिए। ***दर्शन लाल नागपाल बनाम दिल्ली और अन्य*** (पूर्वोक्त) के एन. सी. टी. के पैरा 25 से 29 अन्य 35 से 38 और 48 का उल्लेख करते हुए अन्य यह भी आग्रह किया जाता है कि अधिकारियों की ओर से अपने स्वयं के कार्यों में लंबे समय का अंतराल अधिग्रहण में आत्ययिकता के अनुरोध के खिलाफ है। आगे ***देव शरण और***

अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 4 एससीसी 769 पर भरोसा किया गया है।

78. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए अधिकारियों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता हैः

(i) ***देव शरण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि यदि अधिग्रहण के अन्य रास्ते तलाशने से सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, तो अधिग्रहण को मंजूरी देने से पहले न्यायालय को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अवधारणा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यद्यपि उक्त मामले में जेल का निर्माण सार्वजनिक हित में माना गया था, लेकिन यह देखा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत आत्यायिकता खंड को लागू करके अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सरकारी तंत्र द्वारा धीमी गति से काम किया गया था।

(ii) ***देवेन्द्र कुमार त्यागी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5क के तहत आपत्तियां उठाने और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना भूमि अधिग्रहण के अवैध और मनमाने कृत्य के बचाव के रूप में न्यायालय के पूर्व

निर्देशों का हवाला देकर मनमाने तरीके से आत्ययिकता के प्रावधानों को लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। यह भी पाया गया कि प्रदूषणकारी अस्थि मिलों और संबंधित उधोगों के स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लगभग दो वर्ष बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की गईं और धारा 6 के अंतर्गत घोषणा उसके छह महीने बाद जारी की गई, जो राज्य सरकार के सुस्त और उदासीन रवैये को दर्शाता है और इस प्रकार आत्ययिकता क प्रावधानों को लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। यह भी माना गया कि क्षेत्रीय योजना के अनुरूप उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में लेदर सिटी परियोजना के गठन के लिए एन.सी.आर.पी.बी.(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) द्वारा कोई अनुमोदन नहीं था और इसलिए धारा 19 के संदर्भ में स्पष्ट अनुमोदन के अभाव में अधिग्रहण और एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 की धारा 27 के संचालन से संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही अवैध हो जाती है और इसलिए दोषपूर्ण हो जाती है।

(iii) ***दर्शन लाल नागपाल बनाम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में अन्य शीर्ष अदालत के समक्ष विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम अन्य 1894 की धारा 17 (1) और (4) को लागू कर सकती थी और गाँव मंडोली में विद्युत उपकेंद्र के अधिग्रहण या

स्थापना के उद्देश्य से इसकी धारा 5क (2) में सन्निहित सुनवाई के नियम को समाप्त कर सकती थी। यह देखा गया कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए कहा कि बवाना में 1500 मेगावाट के गैस आधारित संयंत्र से उत्पन्न बिजली को निकालने और उपयोग करने के लिए पूर्वी दिल्ली में उप-केंद्र की आवश्यकता है और ऐसा करते हुए पीठ ने पूरी तरह से इस बात की अनदेखी की कि उप-केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव की शुरुआत और अधिनियम की धारा 17 (1) और (4) के साथ पठित धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने के बीच पांच साल से अधिक एक लम्बे समय का अंतराल था। इसके अलावा न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था जो यह दर्शाता हो कि मंडोली में उप-केंद्र स्थापित करने का कार्य एक निश्चित अनुसूची के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक था और ऐसी आत्ययिकताथी कि कुछ महीने का समय भी, जो धारा 5क (1) के तहत भूमि मालिकों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां दर्ज करने में खर्च किया गया हो और धारा 5क (2) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आयोजन, परियोजना को विफल कर दिया है। आत्ययिकता के प्रावधानों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब कुछ हफ्तों या महीनों की छोटी सी देरी भी उस सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर सकती है जिसके लिए

भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता है कि जिस उद्देश्य के लिए अपीलकर्ताओं की भूमि और अन्य लोगों की भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, वह एक सार्वजनिक उद्देश्य था, लेकिन यह कहना एक बात है कि राज्य और उसका साधन बिना समय गंवाए सार्वजनिक महत्व की परियोजना को निष्पादित करना चाहता है और यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि ऐसी परियोजना के निष्पादन के लिए, निजी व्यक्तियों को बिना सुने उनकी संपत्ति से वंचित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन अधिकारियों पर भरोसा किया गया था, वे अलग-अलग हैं क्योंकि उपरोक्त मामलों में विचार धीमी गति से किया गया था, जिस पर सरकार ने काम किया, जो अधिकारियों के अभावपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करता था और तत्काल प्रावधानों को लागू करने का कोई आधार नहीं था। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही में, केवल आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय II और III के आवेदन को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से आपत्तियाँ अभी भी 2013 अधिनियम की धारा 15 के अनुसार दायर की जा सकती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के साथ-साथ इस तथ्य को देखते हुए कि परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के

लिए विभिन्न गांवों में अपशिष्ट जल उपचार को जोड़ा जाना था, अपशिष्ट जल उपचार की स्थापना की आत्ययिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता था। मई, 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बाद, 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना 28 अगस्त, 2015 को थोड़े ही समय में जारी की गई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कार्यवाही पर रोक के कारण परियोजना अधर में लटकी हुई है।

79. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की आत्ययिकता राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों को देखते हुए स्पष्ट है और उपयुक्त सरकार की कार्यवाही पूरी तरह से उचित है। आगे ***भारत संघ और अन्य बनाम मोहिउद्दीन मसूद और अन्य, (2020) 14 एस. सी. सी. 760, चमेली सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (पूर्वोक्त) और प्रथम भूमि अधिग्रहण समाहर्ता और अन्य बनाम निरोधी प्रकाश गंगोली और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर निर्भरता रखी गयी है।

80. आत्ययिकता के बारे में निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है और यह एक व्यक्तिपरक संतुष्टि का प्रश्न है जिसे रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उपयुक्त सरकार द्वारा लिया जाना है। ***प्रथम और अधिग्रहण समाहर्ता और अन्य बनाम निरोधी प्रकाश गंगोली और अन्य*** (पूर्वोक्त) में यह देखा गया है

कि यदि धारा 17(1) और 17(4) (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894) के तहत शक्तियों को लागू करते हुए अधिसूचना जारी की गई है, तो न्यायालय को इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि उपयुक्त प्राधिकारी ने कारकों पर अपना ध्यान नहीं दिया और निर्णय दुर्भावना से लिया गया है। वर्तमान मामले में अध्यादेश की धारा 10क(1)(ड.) के तहत प्रावधानों को लागू करते समय शक्ति का दुर्भावना से प्रयोग किए जाने का केवल आरोप ही पर्याप्त नहीं होगा और ऐसे आरोपों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष विशिष्ट सामग्री रखी जानी चाहिए।

चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया जाना उचित है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपने प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करता है और भूमि का अधिग्रहण करता है। जब तक शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, तब तक मालिक के व्यक्ति के अधिकार को व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए स्थान मिलना चाहिए।

यह भी देखा गया कि उपयुक्त सरकार द्वारा तत्काल कब्जा करने के लिए बनाई गई आत्ययिकता की राय, उसके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर एक व्यक्तिपरक निष्कर्ष है और यह तब तक बहुत महत्वपूर्ण होने का हकदार है जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण या सत्ता के खराब प्रयोग से दूषित नहीं

किया जाता हो। विलंब स्वत: तत्कालीनता को तीव्र करती है : जितना अधिक विलंब होगा, उतनी ही अधिक तत्कालीनता की मांग होगी। यह भी देखा गया कि जब तक दलितों, जनजातियों और गरीबों की बीमार स्थितियों और दयनीय आवास आवश्यकताओं को हल या पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आत्ययिकता बनी रहती है। जब सरकार सामग्री के आधार पर आत्ययिकता की अपनी राय बनाती है, तो न्यायालय, एक अपीलीय मंच नहीं होने के कारण, तब तक निष्कर्ष को बाधित नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय निर्णायक रूप से शक्ति के दुरुपयोग को दुर्भावनापूर्ण नहीं पाती।

इसके अलावा, यह भी देखा जा सकता है कि ***भारत संघ और अन्य बनाम मौहिउद्दीन मसूद और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि आत्ययिकता खंड को लागू करना गलत था, क्योंकि वह यह समझने में विफल रहा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत अधिसूचना के बीच केवल 3 महीने का समय अंतराल था। केवल यह कि भूमि की पहचान करने और वास्तविक धारा 4 अधिसूचना जारी करने में कुछ समय लिया गया था, उच्च न्यायालय का यह कहना उचित नहीं है कि कोई आत्ययिकता नहीं थी और/या आत्ययिकता खंड को लागू करने का कोई आधार नहीं था।

वर्तमान मामले में, कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है कि मई, 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यू डब्ल्यू टी पी) की स्थापना के लिए आसन्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, भूमि की पहचान के बाद 28 अगस्त, 2015 को 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी कर विभिन्न गांवों में अध्यादेश की धारा 10क(1)(ड.) लागू करते हुए डब्ल्यू डब्ल्यू टी पी स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। तथ्यों और परिस्थितियों में तात्कालिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और यह नहीं कहा जा सकता कि इस संबंध में कार्रवाई देरी, संपार्श्विक उद्देश्यों से प्रेरित है या अध्यादेश की धारा 10क लागू करके प्रक्रिया शुरू करने का कोई औचित्य नहीं था।

81. हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन ***दीपक रिसॉर्ट्स और होटल्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेडभारत संघ और अन्य*** (पूर्वोक्त) ने प्रत्यर्थी पर भरोसा किया अन्य जिसमें दिल्ली के कापसहेड़ा गांव में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिनियम की धारा 17 (1) और 17 (4) के तहत अधिसूचना को दूषित कर दिया गया था क्योंकि इसमें "अधिग्रहण की संभावना" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था जिसका अर्थ है कि विचाराधीन भूमि की कोई मौजूदा आवश्यकता नहीं थी और भविष्य में कुछ समय के लिए भूमि की आवश्यकता हो सकती है। **उच्च न्यायालय ने**

कहा कि सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना की आवश्यकता के बारे में आत्ययिकता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है और ऐसे संयंत्रों की स्थापना का काम तुरंत शुरू करने और युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि धारा 17 (4) के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने का कोई वास्तविक औचित्य नहीं था। यह भी देखा गया कि प्रत्यर्थी द्वारा पहले ही कई सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन यह तथ्य कि कापसहेड़ा में एक स्थापित करने की आवश्यकता है, इसमें कोई विवाद नहीं। ऐसा होने पर, सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 (1) और 17 (4) के प्रावधानों को लागू करके तत्काल आधार पर इस तरह के संयंत्र की स्थापना के लिए पर्याप्त कदम उठाने पर कोई त्रुटी नहीं हो सकती है। भारत संघ और अन्य बनाम प्रवीण गुप्ता और अन्य पर निर्भरता रखते हुए, (1997) 9 एस. सी. सी. 78 में यह देखा गया कि आत्ययिकता के संबंध में निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है और रिकार्ड पर उल्लेखित सामग्री के आधार पर उपयुक्त सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि का विषय है। यह भी माना गया कि अधिनियम की धारा 17 (1) और 17 (4) के तहत शक्तियों का आह्वान पूरी तरह से उचित था और उक्त शक्तियों को लागू करने के निर्णय में न तो कोई अवैधता थी और न ही कोई अनियमितता थी।

82. याचिकाकर्ता भेदभाव और दुर्भावना के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही को भी चुनौती देते हैं और यह आरोप लगाया जाता है कि निजी कंपनी की भूमि को अप्रत्यक्ष कारणों से छोड़ दिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वेक्षण आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था और न ही शुष्क या बंजर भूमि की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया था। यह भी आग्रह किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए पहले से ही निर्धारित भूमि पर विचार नहीं किया गया था।

83. प्रत्यर्थियों की ओर से इस पर विवाद किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि सर्वेक्षण के बाद भूमि की पहचान की गई थी और ग्राम ताजपुर खुर्द के मामले में भूमि की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद कम कर दिया गया था और अधिग्रहण का प्रस्ताव केवल राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यू डब्ल्यू टी पी) की स्थापना के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि के लिए था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस मामले पर विचार किया गया था और चूंकि चिन्हित भूमि उपयुक्त थी और केवल एक व्यक्ति के स्वामित्व में थी, इसलिए आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के तहत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सौदा करना अधिक सुविधाजनक होता। आगे ***भरत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पूर्वोक्त), ए. पी. बनाम***

राज्य पर निर्भरता रखी गयी है। इसके अलावा भारत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त), आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोवर्धनलाल पित्ती, (2003) 4 एससीसी 739, भारत संघ बनाम तरसेम सिंह, (2019) 9 एससीसी 304, गिरियास इन्वेस्टमेंट (प्रा) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, (2008) 7 एससीसी 53 पर भी भरोसा किया गया है।

84. प्रत्यर्थियों की ओर से जिन अधिकारियों पर भरोसा किया गया था, उन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता हैः

(i) ***आंध्रप्रदेश राज्य बनाम गोवर्धनलाल पिट्टी*** (पूर्वोक्त) के मामले में प्रत्यर्थी संख्या 5 पर भरोसा किया, खण्ड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्य द्वारा शुरू की गई अधिग्रहण की कार्यवाही निष्पक्ष और *प्रामाणिक* नहीं थी क्योंकि स्कूल की इमारत सौ साल पुरानी थी और इसे वर्ष 1990 में मानव निवास के लिए अयोग्य घोषित किया गया था और इमारत के अधिग्रहण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अधिग्रहण की कार्यवाही तभी शुरू की गई जब उसे किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश मिला और उसने स्कूल के परिसर को खाली करने के लिए उच्च न्यायालय से विस्तृत अवधि प्राप्त की। खण्ड पीठ के आदेश से व्यथित राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें यह कहा गया कि भले ही ऐसी स्थिति हो कि स्कूल भवन के किरायेदार के रूप में राज्य ने

बेदखली के आदेश और उच्च न्यायालय के निर्देश से पहले भूमि अधिग्रहण के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि जब उसने भवन का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया, तो कोई वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य मौजूद नहीं था। यदि केवल संपत्ति का कब्जा किरायेदार के रूप में रखा जा सकता था, तो संपत्ति का अधिग्रहण करना अनावश्यक था। बेदखली के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा जारी खाली करने का निर्देश केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण का सहारा लेने के लिए न्यायसंगत, उचित और निकटवर्ती कारण प्रदान करता है।

(ii) ***भरत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त)*** में याचिकाकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत हरियाणा राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा गुड़गांव में औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि के विकास और उपयोग के लिए उनकी भूमि के अधिग्रहण की वैधता को चुनौती दी थी। अपीलकर्ता ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाले आधारों में से एक यह था कि चूंकि भूमि कृषि योग्य है, इसलिए सरकार के नीतिगत निर्णय के मद्देनजर इसे अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि कल्याणकारी राज्य में, विकास के कार्य को आगे

बढ़ाना और उद्योगों के विकास के लिए कदम उठाना सरकार का कर्तव्य है, जो देश की प्रगति और समृद्धि तथा बेरोजगारी के प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक है। यह सच है कि कृषि भूमि आवश्यक है और इसे सामान्य रूप से गैर-कृषि उपयोग में नहीं बदला जाना चाहिए, लेकिन देश की प्रगति और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य को औद्योगीकरण के विकास की आवश्यकता और कृषि की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना होगा। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि गांव में अन्य व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार केवल उतनी ही भूमि का अधिग्रहण करेगी जितनी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक और उपयुक्त है। अपीलकर्ताओं की भूमि को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त मानते हुए अधिग्रहित किया गया है और इस प्रकार अपीलकर्ता किसी भी भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि अन्य व्यक्तियों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है।

(iii) ***भारत संघ बनाम तारसेम सिंह*** (पूर्वोक्त) मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा संशोधित धारा 3-जे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की प्रयोज्यता को छोड़कर, जिसके परिणामस्वरूप

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे और ब्याज का अनुदान नहीं दिया जाता है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और उच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

(iv) ***गिरियास इन्वेस्टमेंट (पी) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य*** (पूर्वोक्त), अपीलकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग-7 से बैंगलोर हवाई अड्डे तक पहुँच सड़क के निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से व्यथित था। अपीलकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में दुर्भावनापूर्ण याचिका इस आधार पर उठाई कि प्रस्तावित निर्माण के मूल स्थान को जानबूझकर उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मदद के लिए बदला गया था, जिनकी भूमि अन्यथा मूल प्रस्ताव के तहत अधिग्रहित की गई होती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दो तरीके हो सकते हैं जिससे दुर्भावना का मामला बनाया जा सकता है ; एक यह कि कार्यवाही पक्ष के हित को नुकसान पहुंचाने के विशिष्ट उद्देश्य से की गई है और दूसरा, इस तरह के कार्यवाही का उद्देश्य किसी पक्ष की मदद करना है जिसके परिणामस्वरूप पक्ष पर दुर्भावना का आरोप लगाने से नुकसान होता है। यह भी माना गया कि केवल दुर्भावनापूर्ण आरोप सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो भूमि

अधिसूचित की गई थी, वह उन लोगों की थी जिनके पास कोई पद या शक्ति नहीं थी।

85. ***आंध्रप्रदेश राज्य बनाम गोवर्धनलाल पिट्टी*** (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "द्वेष" शब्द की व्याख्या की और निर्णय के प्रासंगिक अंशों को लाभकारी तौर पर संदर्भित किया जा सकता हैः

> *"**12.** विद्वेष का कानूनी अर्थ है "किसी पक्ष के प्रति दुर्भावना या द्वेष और कोई कार्यवाही करने में कोई अप्रत्यक्ष या अनुचित मकसद"। इसे कभी-कभी "वास्तव में विद्वेष" के रूप में वर्णित किया जाता है। "कानूनी विद्वेष" या "कानून में विद्वेष" का अर्थ है "बिना किसी वैध कारण कुछ भी किया गया हो"। दूसरे शब्दों में, "यह बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया कार्य है, और जरूरी नहीं कि यह दुर्भावना और विद्वेष से किया गया कार्य हो। यह दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करते हुए जानबूझकर किया गया कार्य है "। (देखें कानूनी रूप से परिभाषित शब्द और वाक्यांश, तीसरा संस्करण, लंदन बटरवर्थ, 1989)*
>
> ***13.** जहाँ ऐसे विद्वेष का श्रेय राज्य को दिया जाता है, वहाँ यह कभी भी राज्य की ओर से व्यक्तिगत दुर्भावना या विरोध का मामला नहीं हो सकता है। यदि यह कानूनी अर्थों में विद्वेषपूर्ण है, तो इसे एक ऐसे कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु के साथ लिया जाता है। प्रो.वेड प्रशासनिक कानून पर अपने अधिकारिक कार्य में (8 वीं संस्करण, पृ. 414 पर) अंग्रेजी निर्णयों के आधार पर और कथित*

अवैध अधिग्रहण कार्यवाही के संदर्भ में, यह समझाया गया है कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही को असद्भावी बताया जा सकता है यदि वह अधिनियम द्वारा अधिकृत नहीं किए गए उद्देश्य के लिए "भूमि अधिग्रहण" करना चाहता है। यदि राज्य भूमि अधिग्रहण करना चाहता है, तो उसे अपनी शक्ति का उपयोग वैधानिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

***14.** इसलिए, राज्य की ओर से कानूनी विद्वेष का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि राज्य की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उद्देश्य के लिए ईमानदारी से नहीं की गई है और यह केवल बेदखली और रिट कार्यवाही में राज्य के खिलाफ संपत्ति के मालिक द्वारा प्राप्त अनुकूल निर्णयों को विफल करने के लिए की गई है।*

86. हम पहले ही देख चुके हैं कि तत्काल मामले में विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना के 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए किया गया था और उपरोक्त सीमा तक कोई चुनौती नहीं हो सकती है। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एक कल्याणकारी राज्य में, उपयुक्त सरकार पर्यावरण के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विकास का काम करने के लिए बाध्य है और रास्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों को देखते हुए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 की धारा 10क (1) (ड.) के अनुसार साथ ही आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 लोक

हित में उपयुक्त सरकार को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के अध्याय-II और अध्याय-III के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट देने का अधिकार देता है, इस संबंध में अधिग्रहण के लिए कदम विभाग द्वारा परियोजना के निष्पादन में किसी भी देरी से बचने के लिए प्रावधानों के अनुसार शुरू किए गए थे। अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के उपरोक्त चरण के साथ-साथ 28 अगस्त, 2015 को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अंतिम मंजूरी तक, अधिकारियों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 जो आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के प्रावधानों को निरंतर प्रभाव देने के लिए जारी किया गया था, 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो जाएगा। अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में प्रत्यर्थियों द्वारा रिकार्ड पर दायर दलीलों के साथ-साथ दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भूमि का वह क्षेत्र जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक और उपयुक्त था, इसको मंजूरी दी गई थी। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, किसी अन्य निजी कंपनी की भूमि को छोड़कर, भेदभाव का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता के दृष्टिकोण के

साथ-साथ उन व्यक्तियों की संख्या पर विचार किया गया था, जो प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित हो सकते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए दुर्भावनापूर्ण और भेदभाव के तर्क गुणहीन हैं।

घ. <u>आपत्तियों पर विचार न करने के आधार पर अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती</u>

87. अधिग्रहण की कार्यवाही को याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार नहीं किया गया था। ***चत्रो देवी बनाम भारत संघ और अन्य, 2007 (93) डी. आर. जे. 738*** के अनुच्छेद 31 और 32 का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5क के तहत अधिग्रहण पर आपत्ति उठाने का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया था और इसके प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक कलेक्टर द्वारा दी गई सुनवाई, जबकि दूसरे जिलाधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट उक्त प्रावधान की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ***गौजेर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) पर भी निर्भरता की गयी थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल. ए. सी.) ने आपत्तियों को प्रभावी और निष्पक्ष रूप से निपटाए बिना संक्षेप में खारिज कर दिया और इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों

पर विचार न करने के परिणामस्वरूप उन्हें सुनवाई के प्रभावी अवसर से वंचित कर दिया गया था। जिस तरह से सरकार के संयुक्त सचिव ने संपत्ति के अधिग्रहण के पक्ष में वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा की गई सिफारिश को मंजूरी दी, वह वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा की गई सिफारिश और उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से विचार न करने को दर्शाता है।

उषा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पूर्वोक्त) का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं की आपत्तियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना धारा 6 की घोषणा जारी करना विवेक के अभाव के कारण दोषपूर्ण माना जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मुख्यमंत्री ने मेसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म लिमिटेड की खाली जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया था। इसके अलावा, जब अधिसूचना जारी की गई, तो राज्य सरकार ने अपीलकर्ता की जमीन को छोड़कर अधिग्रहित जमीन को छोड़ दिया और इस तरह, उनके साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया गया।

88. प्रत्यर्थियों की ओर से दलीलों का विरोध किया गया है क्योंकि कहा गया है कि आपत्तियों पर कानून के अनुसार विधिवत विचार किया गया था और याचिकाकर्ताओं को लिखित रूप में अपनी आपत्तियां दायर करने के बाद सुनवाई

का अवसर भी दिया गया था। कहा जाता है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा जारी होने तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित उचित चरणों में इस मामले पर विधिवत विचार किया गया था।

सी सी ई बनाम हरि चंद श्री गोपाल, (2011) 1 एससीसी 236 पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन प्रासंगिक प्रावधानों के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

आनंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 11 एस. सी. सी. 242 पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति सरकार में निहित है और वर्तमान मामले में आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया था और याचिकाकर्ताओं को अवसर दिया गया था। इसके अलावा, चूंकि अधिग्रहण की कार्यवाही घोषणा जारी करने में समाप्त हो गई थी, इसलिए यह मानते हुए समय को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया था।

89. यह ध्यान देना उचित होगा कि ***आनंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** (पूर्वोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार में निहित क्षेत्र की शक्ति का उपयोग जनहित, सामान्य कल्याण और

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5क , आपत्तियां प्रस्तुत करने तथा अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण को छोड़ने के लिए मनाने का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है, जिसके लिए भूमि की कथित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुपयुक्तता, ऐसे अधिग्रहण से होने वाली गंभीर कठिनाई, सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता आदि कारणों का हवाला दिया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 में भूमि अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता या अप्रत्याशित अत्यतिकता के मामले में धारा 5क के तहत जांच से बचने की असाधारण और अपूर्व शक्ति प्रदान की गई है और ऐसी शक्ति का नियमित रूप से हल्के ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनमें तत्काल कब्जा आवश्यक हो।

90. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों के मामले के अनुसार, 23 जून, 2015 को उप सचिव, भूमि अधिग्रहण /भूमि एवं भवन निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने विभिन्न गांवों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संयुक्त सर्वेक्षण के लिए संबंधित वास्तविक नियंत्रण रेखाओं को सूचित किया और आगे 30 जून को भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की राय को ध्यान में रखते हुए भूमि को 51 बीघा और 00 बीघा से

घटाकर 30 बीघा 06 बीघा कर दिया गया। आर. एफ. सी. आर. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 40 के तहत आत्ययिकता खंड को यह मानते हुए लागू नहीं किया गया था कि यह केवल 2013 अधिनियम की धारा 40 (2) में निर्दिष्ट प्रस्तावों के लिए है। उचित विचार के बाद, मसौदा अधिसूचनाओं को 26 अगस्त, 2015 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए रखा गया था और तदनुसार अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना 28 अगस्त, 2015 को जारी की गई थी। इसके बाद 5 अक्टूबर, 2015 को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर 11 दिसंबर, 2015 को सुनवाई का नोटिस दिया गया और मामले को आखिरकार 5 जनवरी, 2016 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया। आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया और रिपोर्ट को धारा 15 (2) ख के तहत रखा गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। डी. एम. (एस. डब्ल्यू./एल. ए. सी.) की रिपोर्ट को तदनुसार कार्यवाही के अभिलेख साथ उपयुक्त सरकार को आपत्तियों की सिफारिशों को सूचित करते हुए रखा गया था, जो प्रक्रिया का पालन करने के बाद, कानून के अनुसार घोषणा जारी करने के लिए समय बढ़ाने के बाद 27 जुलाई, 2017 की धारा 19 के तहत घोषणा को पारित करने में समाप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर आपत्तियां/अभ्यावेदन सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान विधिवत प्रतिबिंबित हुए हैं। तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों द्वारा सम्यक प्रक्रिया

का पालन किया जाता प्रतीत होता है और सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्षों को केवल इसलिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के संबंध में अनुकूल दृष्टिकोण नहीं लिया गया था।

ङ. <u>भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना को चुनौती</u>

91. इसके बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना उपयुक्त सरकार द्वारा केवल 1 सितंबर, 2015 को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जबकि अध्यादेश पहले ही 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो चुका था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 2013 अधिनियम की धारा 11 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अनुरूप) के तहत अधिसूचना अधिनियम के तहत किसी भी अन्य शक्तियों के प्रयोग और 31 अगस्त, 2015 के बाद उसी के प्रकाशन के लिए किसी भी अधिग्रहण और पूर्ववर्ती शर्त के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ***नरेंद्रजीत सिंह और अन्य बनाम में पैरा 7, 9 से 11 उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1970) 1 एस. सी. सी. 125 का संदर्भ दिया गया है।***

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड बनाम मोहम्मद शफी एवं अन्य, (1992) 2 एससीसी 168 के पैरा 8 और 17 पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिग्रहण की शुरुआत भूमि अधिग्रहण अधिनियम,

1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा होनी चाहिए, जो कि अति आवश्यकता की स्थिति में भी अनिवार्य बन जाती है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत किसी भी अन्य शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व शर्त है। इसके अलावा, प्रारंभिक अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और इसमें कोई भी चूक पूरी कार्यवाही को प्रभावित करती है।

इसके अलावा, ***डी.बी. बसनेट (मृत) बनाम कलेक्टर, पूर्वी जिला गंगटोक, सिक्किम एवं अन्य (2020) 4 एससीसी 572 के पैरा 14 और 15*** *का हवाला देते हुए आग्रह किया गया है कि जहां धारा 4 के तहत अधिसूचना अमान्य है, वहां पूरी कार्यवाही अमान्य हो जाएगी।*

पी. पार्थसारथी बनाम कर्नाटक राज्य, 2011 (12) एस. सी. सी. 183 के पैरा 19 और 20 का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अधिग्रहण के लिए निश्चित आशय और निर्णायक प्रमाण केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा जारी करते है, जबकि धारा 4 अधिसूचना केवल एक प्रस्ताव है।

92. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से दलीलों का विरोध किया गया है। धारा 11 के तहत राजपत्र अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 28 अगस्त, 2015 को जारी की गई थी और यह प्रस्तुत किया गया है कि 31 अगस्त, 2015 के बाद समाचार पत्र में इसका प्रकाशन कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है। ***कृष्णा देवी मालचंद कामथिया और अन्य बनाम बॉम्बे***

एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप और अन्य (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए कहा गया है कि अधिकारियों ने अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखना सही था क्योंकि धारा 11 के तहत अधिसूचना को अध्यादेश की समाप्ति के कारण शून्य नहीं माना जा सकता था। धारा 11 के तहत अधिसूचना उच्च स्तर पर बनी रही कानूनी बल तब तक और जब तक इसे किसी सक्षम मंच द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जाता है।

संदीप एस. मेटांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021 ***एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 5726 और स्टेट ऑफ एम. पी. बनाम.विष्णु प्रसाद शर्मा, (1966) 3 एससीआर 557 ।***

93. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि भूमि में अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 300क के तहत एक संवैधानिक अधिकार है और यदि किसी व्यक्ति को अधिग्रहण के माध्यम से संपत्ति में अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। निस्संदेह, अधिग्रहण 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना के साथ शुरू होता है, जो अनिवार्य है और उपयुक्त सरकार द्वारा आगे की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। उपयुक्त सरकार द्वारा सार्वजनिक घोषणा के बाद नोटिस का प्रकाशन प्रभावित भूमि मालिकों को अधिग्रहण के लिए अपनी आपत्तियों, यदि कोई हों, का प्रचार करने में सक्षम बनाता है। तदनुसार, यदि 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत नोटिस

दोषपूर्ण है और अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो यह न केवल अधिसूचना को दूषित करता है, बल्कि अधिग्रहण से जुड़ी बाद की कार्यवाही को भी खराब बताता है।

94. वर्तमान मामले में, 31 अगस्त, 2015 को अध्यादेश की समाप्ति से पहले 28 अगस्त, 2015 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई है। उसके बाद समाचार पत्र में प्रकाशन केवल प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के इरादे के बारे में जनता को अधिसूचना देने के उद्देश्य से है और यह 28 अगस्त, 2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना को रद्द नहीं करता है। धारा 10क(1)(ड.) को लागू करने वाली आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना पूर्वोक्त आधार पर किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

95. याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं और संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता हैः

(i) ***नरेंद्रजीत सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना में गंभीर खामियां थीं क्योंकि जिस इलाके में भूमि की आवश्यकता थी, उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया था और धारा 4(1) के तहत अधिसूचना में दोष को धारा 6(1) के तहत

अधिसूचना में पूर्ण विवरण देकर ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले ही सरकार ने याचिकाकर्ताओं की भूमि अधिग्रहित करने का मन बना लिया था क्योंकि दोनों अधिसूचनाओं के बीच जांच चल रही थी और यह स्पष्ट करने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिया गया था कि धारा 6(1) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट विवरण धारा 4(1) के तहत अधिसूचना में क्यों नहीं दिए जा सकते।

(ii) ***मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड बनाम मोहम्मद शफी एवं अन्य (पूर्वोक्त)*** में यह पाया गया कि धारा 4(1) और 17(1) के तहत अधिसूचना बहुत ही गूढ़ थी क्योंकि खसरा संख्या नहीं दी गई थी और न ही सटीक स्थान का संकेत दिया गया था और इस तरह विवरण अपर्याप्त पाया गया। साथ ही, जिस "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी, उसका उल्लेख "आवासीय" के रूप में किया गया था, जिसे अस्पष्ट माना गया और इस तरह राज्य को मामले में आगे कदम उठाने से रोक दिया गया। सटीक रूप से स्थान का खुलासा न करने के कारण प्रकाशन को अमान्य माना गया।

(iii) ***डी.बी. बसनेट (मृत) बनाम कलेक्टर, पूर्वी जिला गंगटोक, सिक्किम एवं अन्य (पूर्वोक्त)*** में, चूंकि प्रत्यर्थी भूमि अधिग्रहण के मंशा दर्शाने वाली कोई अधिसूचना या उसके बाद के मुआवजे के लिए कवरिंग लेटर

को छोड़कर कोई अन्य घोषणा दिखाने में विफल रहे, इसलिए यह माना गया कि भूमि का अधिग्रहण कानून के अनुसार नहीं किया गया था।

(iv) ***पी. पार्थसारथी बनाम कर्नाटक राज्य*** (पूर्वोक्त) मामले में, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 की धारा 28 की उप-धारा 4 के तहत प्रत्यर्थी, राज्य द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता और वैधानिकता को मानते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की गई और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह मानते हुए अपील को खारिज कर दिया कि प्रारंभिक अधिसूचना में कोई भी दोष अधिग्रहण कार्यवाही के लिए घातक साबित नहीं होगा। विशेष अनुमति याचिका में इसके खिलाफ वरीयता दी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हालांकि अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति के विवरण में कुछ विसंगति थी, लेकिन इसने याचिकाकर्ता को भूमि की पहचान के बारे में गुमराह नहीं किया। इसके अलावा, ***नरेंद्रजीत सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*** (पूर्वोक्त) में लिए गए निर्णय को तथ्यों के आधार पर अलग माना गया, क्योंकि उक्त मामले में अधिसूचना में कोई विवरण नहीं दिया गया था। बाबू बार्क्य ठाकुर बनाम बॉम्बे राज्य, ए आई आर 1960 एस सी 1203 का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें यह देखा गया

कि केवल धारा 6 के तहत ही सरकार को यह स्पष्ट घोषणा करनी होती है कि उचित विवरण और क्षेत्र के साथ भूमि की पहचान की जानी चाहिए, जो सार्वजनिक उद्देश्य या कंपनी के लिए आवश्यक है।

बाबू बरक्या ठाकुर बनाम बाम्बे राज्य (पूर्वोक्त) में निर्दिष्ट सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने जोर दिया है।

च. *<u>एम. पी. डी. 2021, क्षेत्रीय विकास योजना और डी. डी. ए. की लैंड पूलिंग नीति का उल्लंघन करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देना।</u>*

96. आर. के. मित्तल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी यह मानने में विफल रहे कि अधिग्रहण दिल्ली के मास्टर प्लान और क्षेत्रीय योजनाओं का उल्लंघन है। यह भी बताया गया है कि गाँव ताजपुर खुर्द डी. डी. ए. की भूमि पूलिंग नीति के तहत आता है और याचिकाकर्ताओं ने उक्त योजना के तहत अपनी भूमि डी. डी. ए. को सौंपने का विकल्प चुना था, जिसके तहत 37 एकड़ का क्षेत्र अधिकारियों को उपलब्ध है। यह आग्रह किया जाता है कि वही भूमि डी. डी. ए. से लैंड पूलिंग नीति से अधिग्रहित की जा सकती है और सरकारी खजाने को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रत्यर्थियों की ओर से दलीलों का विरोध किया गया है।

97. शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से विकास का विकल्प अभी भी विचाराधीन है और कहा जा सकता है कि उक्त योजना के तहत कोई अंतिम अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में यदि उसका स्वामित्व संबंधित याचिकाकर्ताओं के पास है, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा चुने गए विकल्प मात्र से उपयुक्त सरकार के भूमि अधिग्रहण के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि ***अफ़लातून और अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मास्टर या क्षेत्रीय योजना की अनुपस्थिति में में दिल्ली के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जा सकती थी। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 पर विचार करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की योजना की अनुपस्थिति में में कार्यवाही बाधित नहीं हुई। यह भी देखा गया कि अधिग्रहण आम तौर पर उच्च होता है। विकास से पहले और यदि उचित विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की जाती है, तो उपयुक्त सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को गैरकानूनी या शक्ति के रंगीन प्रयोग में नहीं कहा जा सकता है।

वर्तमान मामले में, यदि किसी सक्षम अधिकारी/डी. डी. ए. ने मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना के प्रावधानों के विपरीत संबंधित गांवों में चिन्हित भूमि पर अपशिष्ट जल निवारक सयंत्र के निर्माण पर आपत्ति जताई है, लेकिन

ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है। याचिकाकर्ताओं की भूमि भूमि का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसे व्यापक जनहित में अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है और यदि क्षेत्रीय योजना में इस तरह के किसी परिणामी संशोधन की आवश्यकता होती है, तो इस संबंध में अधिकारियों द्वारा ***अफ़लातून और अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत जिसके कारण संबंधित अधिकारियों के साथ शिकायतें दर्ज की गईं, शुरू में भूमि की पहचान के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और अधिग्रहण के लिए आवश्यक भूमि के क्षेत्र को कम करके कंपनी के स्वामित्व वाली आस-पास की भूमि को दुर्भावनापूर्ण तरीके से छोड़ने के संबंध में थी।

उपरोक्त संदर्भ में, अधिकारियों ने विधिवत समझाया है कि अधिग्रहण के लिए न्यूनतम भूमि पर विचार किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ताओं की भूमि एक ही पक्ष के स्वामित्व में थी, इसलिए इसे अधिग्रहण के लिए उपयुक्त माना गया था। इस संबंध में अधिकारियों को दिए गए विवेकाधिकार का उपयोग दुर्भावना से नहीं किया गया माना जा सकता है क्योंकि संबंधित विभाग केवल भूमि की उपयुक्तता का पता लगाने की स्थिति में था। याचिकाकर्ता भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि अन्य व्यक्तियों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई थी और भूमि की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में थी।

98. जहाँ तक ***आर. के. मित्तल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) का संबंध है, याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है, वही अलग है। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुख्य मुद्दा नए ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र के मास्टर-प्लान में विशेष रूप से आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्रों में आवासीय के अलावा अन्य उपयोगकर्ताओं को अनुमति देने के लिए नोएडा प्राधिकरण की शक्ति के दायरे और दायरे पर विचार करना था और क्या आवासीय परिसर का उपयोग मूल आवंटी या यहां तक कि उसके स्थानांतरिती द्वारा आवासीय के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, क्योंकि बैंक विचाराधीन भूमि पर चलाए जा रहे थे। अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि विकास क्षेत्र में बैंकों, क्लीनिकों और अन्य वाणिज्यिक कार्यालयों के लिए जगह की अपर्याप्तता थी और बैंकों के लिए भूखंडों की संख्या आवासीय क्षेत्रों में जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और बैंकों के स्थानांतरण के लिए कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं थी। दूसरी ओर, नोएडा विकास प्राधिकरण ने तर्क दिया कि आवासीय क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधि की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे जनता को असुविधा होती है और निवासियों को परेशानी होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मास्टर प्लान और क्षेत्रीय योजना का कानून में बाध्यकारी प्रभाव है और यदि किसी योजना/मास्टर प्लान को अधिकारियों के मनमाने कृत्यों द्वारा रद्द किया जा रहा है, तो अदालत को

हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और जब भी आवश्यक हो तो अधिकारियों के आदेशों को भी रद्द कर देना चाहिए। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि बैंकिंग, नर्सिंग होम या "आवासीय उपयोग" के लिए निर्धारित विकास क्षेत्र में किसी भी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति नहीं है और यदि ऐसा किया जाता है तो यह मास्टर प्लान का उल्लंघन है।

वर्तमान मामले में, अधिग्रहण की जाने वाली भूमि कृषि भूमि है जिसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि डब्ल्यू डब्ल्यू टी पी/ अपशिष्ट जल निवारक संयंत्र की स्थापना के लिए किया जाना है। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विशेष आपत्ति नहीं की गई है, जिससे यह माना जा सके कि उक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है या यदि आवश्यक हो तो क्षेत्रीय योजना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विकास को उपरोक्त आधारों पर कम नहीं किया जा सकता है। तथ्यों और परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

99. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि रिट याचिका (सि.) 320/2018 में याचिकाकर्ताओं की ओर से जवाब में यह भी कहा गया है कि पहले अधिग्रहित उचित आकार की भूमि का अधिग्रहण डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी./अपशिष्ट जल निवारक संयंत्र स्थापित करने के समान उद्देश्य के लिए किया गया है। अवार्ड संख्या 17/डीसीडब्लू/1997-98 ग्राम टिकरी कलां की प्रति के अवलोकन से पता

चलता है कि भूमि पी वी सी डीलरों के पुनर्वास के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी, जैसा कि परिचयात्मक पैरा में ही दर्शाया गया है। इस तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के संज्ञान में और कुछ नहीं लाया गया है कि वर्तमान परियोजना के लिए प्रस्तावित अपशिष्ट जल निवारक संयंत्र की स्थापना के लिए कोई अन्य भूखंड उपयुक्त सरकार के पास उपलब्ध है।

छ. *<u>पर्याप्त अनुपालन</u>*

100. हम प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति से सहमत हैं कि संविडा का पर्याप्त पालन किया गया है ताकि जिस इरादे से इसे पारित किया गया था उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ***सी. सी. ई. बनाम हरि चंद श्री गोपाल*** (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत पर प्रकाश डाला, जिसका अर्थ है "संविदा के प्रत्येक उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक पदार्थ के संबंध में वास्तविक अनुपालन" और न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या संविदा का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि संविदा के उस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके जिसके लिए इसे पारित किया गया था। यह भी देखा गया कि हालांकि, इस तरह के बचाव की दलील नहीं दी जा सकती यदि एक स्पष्ट वैधानिक पूर्व शर्त जो वैधानिक प्रयोजन और उद्देश्य प्रभावित करती है, इसको पूरा नहीं किया गया हो। पैरा 32 से 34 में टिप्पणियों को लाभकारी रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

*"**32.** पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत एक न्यायिक आविष्कार है, जो प्रकृति में न्यायसंगत है, जिसे उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां एक पक्ष वह सब करता है जो उचित रूप से उससे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ छोटे या असंगत पहलुओं में विफल या त्रुटिपूर्ण है जिन्हें आवश्यकताओं के "सार" या "अर्थ" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। "तर्कसंगतता" की अवधारणा की तरह, "पर्याप्त अनुपालन" की याचिका की स्वीकृति या अन्यथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन और उद्देश्य और पूर्व शर्तों के संदर्भ पर निर्भर करता है जो नियम या विनियमन के प्रयोजन और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस तरह के बचाव का अनुरोध नहीं किया जा सकता है यदि एक स्पष्ट वैधानिक पूर्व शर्त जो संविदा प्रयोजन और उद्देश्य को प्रभावित करती है, को पूरा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से, इसका अर्थ है कि न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या संविदा का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि उस इरादे को पूरा किया जा सके जिसके लिए संविदा को अधिनियमित किया गया था, न कि सख्त अनुपालन की दर्पण छवि। पर्याप्त अनुपालन का अर्थ है " के प्रत्येक उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक पदार्थ के संबंध में वास्तविक अनुपालन" और न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या अधिनियम का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि अधिनियम के इरादे को पूरा किया जा सके और उन उचित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जिनके लिए इसे पारित किया गया था।*

33. *एक राजकोषीय अधिनियम आम तौर पर महत्वपूर्ण नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है, विशेष रूप से जब कोई पक्ष एक छूट खंड का लाभ चाहता है जो महत्वपूर्ण है। एक अधिनियम के साथ पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाता है, जहां अनिवार्य और निर्देशिका आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में, यदि अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो यह कहना उचित होगा कि निर्देशिका आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के बावजूद अधिनियम का काफी हद तक पालन किया गया है। ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त अनुपालन पाया गया है, अधिनियम का वास्तविक अनुपालन हुआ है, हालांकि प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण है। पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उन शर्तों या आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है जो कर या शुल्क छूट का आह्वान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और या तो महत्वहीन और वास्तविक आवश्यकताओं या आवश्यकताओं के लिए गैर-अनुपालन को माफ करने का प्रयास करता है। इतने भ्रमित या गलत तरीके से लिखे गए हैं कि अनुपालन के लिए एक गंभीर प्रयास को स्वीकार किया जाना चाहिए।*

34. *पर्याप्त अनुपालन सिद्धांत की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए परीक्षण असंख्य मामलों का विषय रहा है और अक्सर, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आवश्यकताएं अधिनियम के "सार" या "अर्थ" से संबंधित हैं, यदि ऐसा है, तो उन आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना उस सिद्धांत को*

प्रभावी बनाने के लिए एक पूर्व शर्त है। दूसरी ओर, यदि आवश्यकताएँ प्रक्रियात्मक या निर्देशिका हैं जिसमें वे किए जाने वाले कार्य के "सार" की नहीं हैं, लेकिन व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, तो उन्हें पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है, यदि सख्त अनुपालन नहीं है। दूसरे शब्दों में, केवल अनुपालन का प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन कारकों का वास्तविक अनुपालन जो आवश्यक माने जाते हैं।

(VIII) <u>निष्कर्ष</u>

101. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त सरकार ने अपशिष्ट जल निवारक संयंत्र की स्थापना के वैध सार्वजनिक उद्देश्य को साकार करने के लिए अधिग्रहण के लिए कदम उठाए जो अध्यादेश की धारा 10क (1) के खंड (ड.) के भीतर आते हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर माना जा चुका है, सार्वजनिक उद्देश्य निजी हित सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय का उपयोग दुर्भावनापूर्ण या संपार्श्विक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर आपत्तियों पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार विधिवत विचार किया गया। प्रत्यर्थियों द्वारा 2013 अधिनियम के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से भेदभाव, दुर्भावना, 2013 के अधिनियम के अध्याय II और अध्याय III को समाप्त करने की आत्ययिकता की अनुपस्थिति

में के आधार पर उठाई गई आपत्तियां बिना किसी योग्यता के हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। तथ्यों और परिस्थितियों में, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें न्यायालय अधिग्रहण कार्यवाही को दरकिनार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

102. पूर्वगामी कारणों से, दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। दोनों रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश भी खाली हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति अन्य रिट याचिका में रखी जाए।

(अनूप कुमार मेंदिरत्ता)
न्यायाधीश

(वी. कामेश्वर राव)
न्यायाधीश

24 जनवरी, 2024/*एसडी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*